स्वैच्छिक शिक्षक मंचों का आरम्भ और उनकी निरन्तरता

टोंक, राजस्थान का अनुभव

रुचि घोष, विनोद जैन

शिक्षा में फील्ड अध्ययन अक्टूबर 2016

Azim Premji University

यह अध्ययन अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन द्वारा भारत की स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता और समता के लिए बेहतरी के लिए किए गए जमीनी प्रयासों के परीक्षणों से हासिल नतीजों को प्रस्तुत करता है। हमारा उद्देश्य है कि यह अध्ययन शिक्षा के काम से जुड़े उन व्यक्तियों, अकादमिकों और नीति-निर्धारकों तक पहुँचेजो शिक्षा के कार्यक्षेत्र में शिक्षकों के अवलोकन में आए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को समझना चाहते हैं। इस अध्ययन में व्यक्त निष्कर्ष लेखकों के हैं और आवश्यक नहीं है कि वे अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय या अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन के दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित करें।

स्वैच्छिक शिक्षक मंचों का आरम्भ और उनकी निरन्तरता
टोंक, राजस्थान का अनुभव

रुचि घोष, विनोद जैन

स्वैच्छिक शिक्षक मंचों का आरम्भ और उनकी निरन्तरता

टोंक, राजस्थान का अनुभव

रुचि घोष, विनोद जैन

सार-संक्षेप

भारत में शिक्षकों के सतत पेशेवर विकास के इर्द-गिर्द का विमर्श और व्यवहार 'शिक्षक-प्रशिक्षण' मॉडल द्वारा प्रभावित रहा है। लेकिन दुनिया भर में शिक्षा-अनुसन्धान और व्यवहार ने इस तरह के प्रशिक्षण-प्रेरित मॉडल को रद्द किया है। इनकी बजाए शिक्षकों के पेशेवर विकास के अधिक सशक्त मॉडलों को तरजीह दी गई है, विशेष तौर से शिक्षकों में सहयोग और एक-दूसरे से सीखने को प्रोत्साहित करने वाले मॉडलों को। भारत की सार्वजनिक शिक्षा-प्रणालीके परिप्रेक्ष्य में इस तरह के सहयोग और एक-दूसरे से सीखने को प्रोत्साहन देने वाले मंचों को समर्थ बनाना एक चुनौती रहा है।

अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन भारत के विभिन्न राज्यों के सरकारी स्कूली ढाँचे के साथ शिक्षा में गुणवत्ता और समता में बेहतरी के लिए काम करता रहा है। इस काम में शिक्षा के कई आयाम शामिल हैं, लेकिन शिक्षकों के पेशेवर विकास में सहायक होना इसके केन्द्र में रहा है। सहयोग और एक-दूसरे से सीखने के लिए मंचों के बनने में सहायक होना पेशेवर शिक्षक विकास के प्रति फाउण्डेशन के दीर्घकालिक, बहुविध और एकीकृत नजरिए के तहत एक अहम पहलू रहा है - विशेष तौर से ऐसे मंच जहाँ शिक्षक अपनी इच्छा से भागीदारी करें।

स्वैच्छिक शिक्षक मंच ऐसे ही मंच हैं। जहाँ फाउण्डेशन काम कर रहा है, वहाँये मंच बनाए गए हैं। इस मंच पर वे सब शिक्षक एकत्र होते हैं जो ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं जिनके दौरान एक-दूसरे के साथ अपने पेशेवर विकास और व्यवहार से सम्बद्ध मुद्दों पर बात कर पाएँ। यह अध्ययन पड़ताल करता है कि किसी एक जगह पर स्वैच्छिक शिक्षक मंच की शुरुआत करने और उसे चलाए रखने के लिए क्या कुछ करना आवश्यक है। इस बात को गहराई से समझने के लिए राजस्थान में टोंक में हुए अनुभव को आधार बनाया गया है।

मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ

- स्वैच्छिक शिक्षक मंच जैसे स्थान सरकारी स्कूली ढाँचे के शिक्षकों को एक-दूसरे से सीखने और परस्पर सहयोग के ऐसे मौके उपलब्ध करवाते हैं जिनकी बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही है।
- ऐसे मंचों के बने रहने के लिए आवश्यक है कि वे शिक्षकों की पेशेवर आवश्यकताओं को ईमानदारी के साथ वास्तव में सम्बोधित करते हों।
- आवश्यकता है कि ऐसे मंच परस्पर संवाद और विश्वास की संस्कृति को बढ़ावा दें और शिक्षकों की पेशेवर पहचान को ऊपर उठाने में योगदान दें।
- यह शायद अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि ये बस अपने तक सीमित मंच न हों, बल्कि पेशेवर विकास के प्रति ऐसे समग्र नजरिए का हिस्सा हों जिसमें शिक्षकों को भी उसका महत्व दिखाई दे।
- ये शिक्षकों द्वारा एक-दूसरे से सीखने के मंच हैं लेकिन इनकी शुरुआत और इनके बने रहने के लिए बाहर से व्यक्तियों या संस्थाओं की महत्वपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और निरन्तर कोशिशें आवश्यक हैं।
- जिन स्थानों पर ये मंच चल रहे हैं, वहाँ शिक्षकों को एकत्र करने और प्रासंगिक अकादमिक कौशल प्रदान करने के प्रयास के लिए समर्थ लोगों का होना निर्णायक प्रतीत होता है।

1. पृष्ठभूमि

1.1 भारत में शिक्षक का पेशेवर विकास

स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षण की गुणवत्ता के साथ- और इसीलिए शिक्षकों की सामर्थ्य के साथ - बहुत ही जटिल तरीके से बँधी हुई है। यह तो अब व्यापक तौर पर माना जाता है कि शिक्षक का पेशेवर विकास - उसकी तैयारी (जिसे आमतौर पर 'सेवा-पूर्व' कहा जाता है) और निरन्तर विकास (प्राय: 'सेवाकालीन')- शिक्षा की गुणवत्ता के केन्द्र में है।[1]

यह भी स्पष्ट है कि भारत में शिक्षक सामर्थ्य के साथ एक समस्या है। पहली बात तो यह कि देश के अधिकतर सेवा-पूर्व शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम एक पेशेवर शिक्षक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक ज्ञान, दक्षताओं और प्रवृत्ति को निर्मित करने हेतु अपर्याप्त ढंग से तैयार किए गए हैं। दूसरी बात यह कि शिक्षकों के प्रमाणीकरण और उनके चुनाव की प्रक्रियाएँ देश भर में अपर्याप्त और असमान हैं। स्थिति और भी बिगड़ी हुई दिखाई देती है जब हम पाते हैं कि कई राज्यों में शिक्षकों के विभिन्न काडर (संवर्ग) हैं - जैसे कि अतिथि अध्यापक और अल्पावधि संविदा शिक्षक और इनके लिए तय किए गए योग्यता सम्बन्धी मानदण्ड अकसर एक जैसे नहीं होते। और फिर, मुद्दा यह भी है कि अध्यापन का पेशा अपनाता कौन है, विशेष तौर से इस सन्दर्भ में कि हमारे मुल्क में अध्यापन को चुने जाने लायक उच्च पेशों में से एक नहीं माना जाता। यह एक जटिल मसला है, लेकिन इसका सम्बन्ध आंशिक तौर पर इस तथ्य से है कि इस पेशे की निम्न सामाजिक हैसियत होने का एक कारण अध्यापन को एक चुनौतीपूर्ण व्यवसाय न मानना है, जो कि मिथ्या धारणा है साथ ही अध्यापक के अशक्त होने का विचार सांस्कृतिक धरातल पर व्याप्त है।[2]

इन मुद्दों से जूझने की जरूरत है, लेकिन यह तो स्पष्ट ही है कि अगर हम निकट भविष्य में शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो शिक्षकों की सामर्थ्य में बेहतरी को उच्चतम प्राथमिकता देनी होगी। ऐसे में शिक्षा में बेहतरी की जिम्मेदारी सेवाकालीन पेशेवर शिक्षक-विकास की व्यवस्था पर आती है।

पिछले करीब सात दशकों में भारत में सेवाकालीन पेशेवर शिक्षक-विकास के लिए विभिन्न रणनीतियाँ लाई गई हैं। इस बात की पुष्टि पिछले कई सालों की शिक्षा आयोग रिपोर्टों द्वारा होती है।[3] नेक इरादे वाली नीतियों के बावजूद सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों के लिए उपलब्ध सेवाकालीन पेशेवर विकास के मौके बहुत हद तक सीमित से ही हैं। शिक्षकों के पेशेवर विकास को सहारा देने वाले संस्थागत ढाँचे आधे-अधूरे क्रियान्वयन की वजह से कमजोर हैं। सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक-शिक्षकों की जबरदस्त कमी है। अध्यापन को एक पेशे के तौर पर पहचान न मिल पाने की वजह से पेशेवर शिक्षक विकास की संकल्पना मूलभूत चुनौतियों से ग्रस्त है। नतीजा यह कि हर साल बिल्कुल अलग-अलग सेवाकालीन कार्यक्रमों को जैसे-तैस हड़बड़ी में लाया जाता है। शिक्षकों को लगता है कि वे आवश्यकता से अधिक प्रशिक्षित हो चुके हैं जब कि असल में वे अपनी कक्षाओं में आने वाली दैनिक चुनौतियों के साथ जूझने-निबटने के लिए अब भी अपर्याप्त रूप से ही तैयार होते हैं।

आमतौर पर होता यह है कि प्रशिक्षण पूरे राज्य में किए जाते हैं और प्रतिभागी-शिक्षकों का चयन बहुधा कामचलाऊ मापदण्डों के तहत किया जाता है। शिक्षक अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के मुताबिक मौके चुन सकें, इस बात की गुंजाइश आमतौर पर नहीं होती। नतीजा अकसर यह होता है कि शिक्षक साल-दर-साल उनके लिए अप्रासंगिक प्रशिक्षण-कार्यक्रमों से होकर गुजरते

---

[1]यह बात दुनिया भर से शिक्षा-क्षेत्र के कई अध्ययनों में स्थापित हो गई है। भारत के परिप्रेक्ष्य में 'शिक्षक-शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009' में इस बात को पुख्ता ढंग से कहा गया है।

[2]माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जस्टिस जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में शिक्षक-शिक्षा पर गठित उच्च-स्तरीय आयोग की रिपोर्ट 2012 (जे.वी.सी., 2012) यहाँ जिक्र में आए कई मुद्दों पर रोशनी डालती है।

[3]इन में सैकेण्डरी शिक्षा आयोग (1952-53), शिक्षा-आयोग (1964-66) और चट्टोपाध्याय आयोग (1983-85) शामिल हैं। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1986) जैसे नीतिगत दस्तावेजों तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) और सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) जैसे सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्रामों द्वारा भी शिक्षकों के निरन्तर पेशेवर विकास के लिए संस्थागत ढाँचों और प्रक्रियाओं की रचना हुई।

हैं। पेशेवर विकास के अवसरों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती बल्कि वे सक्रिय तौर पर उनसे बचते भी हैं। इनमें से अधिकतर प्रशिक्षणों के तहत मुख्य-प्रशिक्षकों के केन्द्रीकृत प्रशिक्षण होते हैं। उसके बाद ये मुख्य-प्रशिक्षक राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षकों के बड़े समूहों को प्रशिक्षित करते हैं। प्रशिक्षण के इस ढाँचे और नजरिए के चलते एक स्तर के प्रशिक्षण से दूसरे स्तर तक पहुँचते-पहुँचते 'सन्देश-प्रसारण में हानि',की समस्या रहती है तथा गुणवत्ता का मुद्दा और भी जटिल हो जाता है। संक्षेप में, मौजूदा सेवाकालीन शिक्षक-शिक्षा प्रणाली सेवारत अध्यापकों की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है।[4]

1.2 सहयोग और एक-दूसरे से सीखना

जहाँ एक ओर मौजूदा सेवाकालीन प्रशिक्षणों में गुणवत्ता से जुड़ी समस्याएँ हैं, वहीं इससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि पेशेवर शिक्षक विकास की बात लगभग पूरी तरह से प्रशिक्षणों पर ही निर्भर है। दुनिया भर के अनुभवों और शोध ने शिक्षकों के निरन्तर पेशेवर विकास के लिए इस प्रकार के 'शिक्षक-प्रशिक्षण' मॉडल को रद्द किया है- बल्कि इस मॉडल के मुकाबले अन्य, अधिक प्रभावी और बहुविध अवसरों की बात की गई है।

शिक्षकों को समय-समय पर एक साथ आने, अपने काम और कक्षा के लिए प्रासंगिक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने तथा समस्याओं को साझा करने, सवाल करने, सोचने-विचारने और हल निकालने की गुंजाइश देने वाले, सहयोग और एक-दूसरे से सीखने के मौके देने वाले मंच, शिक्षकों के सीखने और प्रगति पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं- शिक्षकों के पेशेवर विकास से सम्बद्ध साहित्य का एक विशाल हिस्सा इस समझ को बल प्रदान करता है।[5]

इस प्रकार के साहित्य में ऐसे मंचों के अधिकतर उदाहरण स्कूलों के भीतर ही स्थित हैं। इसका अर्थ यह है कि इस तरह के सहयोग और एक-दूसरे से सीखने की बात स्कूल की दिन-प्रतिदिन की संरचनाओं और शिक्षकों के दैनिक जीवन में ही निहित है। एकल-शिक्षक स्कूल - और इससे भी अधिक, चार से कम शिक्षकों वाले स्कूल - भारत की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की एक विशेषता हैं। दूर-दराज इलाकों में बच्चों तक शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करने की कोशिश कुछ हद तक इसका एक कारण है। शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली के 2013-14 के आँकड़े के मुताबिक देश के प्राइमरी स्कूलों के 11% स्कूल और सभी स्कूलों के 8% स्कूल, एकल-शिक्षक स्कूल हैं। ये आँकड़े भी असलियत को पूरी तरह प्रतिबिम्बित नहीं करते। इसी अवधि के लिए सभी सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की औसत 4.2 है- जब कि इस आँकड़े में भी शहरी और ग्रामीण के हिसाब से कई भिन्नताएँ हैं। इसके अलावा एक बात पूरे ढाँचे के विस्तार की भी है- एक औसत जिले में फैले बहुत बड़े इलाके में करीब 5000 शिक्षक हैं जबकि इनमें से बहुत से इलाके दूर-दराज हैं और उन तक पहुँच बनाना मुश्किल भी है।[6]

इस तरह के सन्दर्भ में स्कूलों के भीतर ही सहयोग और एक-दूसरे से सीखने की बात मुश्किल हो जाती है; अध्यापकों को ऐसे मौके उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक है कि सीखने-सिखाने में सहायक ऐसे मंच स्कूलों के बाहर स्थित हों- और कई

---

[4]सर्व शिक्षा अभियान के 22वें संयुक्त समीक्षा मिशन की रिपोर्ट इनमें से कुछ मुद्दों का जिक्र करती है। (http://ssa.nic.in/monitoring/joint-review-mission-ssa-1)

[5]इससे सम्बद्ध काफी साहित्य मौजूद है। इसमें से कुछ, जिनका हवाला लेखकों ने दिया है, इस प्रकार है

- Stoll, L., R. Bolam, A. McMahon, M. Wallace, and S. Thomas, 2006, Professional Learning Communities: A review of the literature.Journal of Educational Change, 7(4), 221–258
- Opfer, V. D., and D. Pedder, 2011. 'Conceptualizing Teacher Professional Learning. Review of Educational Research, 81(3), 376–407
- Thomas R. Guskey And Kwang Suk Yoon, What Works in Professional Development?, Phi Delta Kappan, Vol. 90, No. 07, March 2009, pp.495-500
- Eleonora Villegas-Reimers, Teacher professional development: an international review of the literature, 2003, UNESCO: InternationalInstitute for Educational Planning, www.unesco.org/iiep
- Anfara, V. A., M.M. Caskey, and J. Carpenter, 2012. 'What research says: Organizational models for teacher learning' Middle SchoolJournal, 43(5), 52–62

शिक्षक-शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009 ने यह कहते हुए इस बात को पहचाना कि ''सेवाकालीन शिक्षक-शिक्षा को शिक्षकों के समुदायों द्वारा एक-दूसरे के साथ अनुभव साझा करने के लिए 'जगहे' बनाने के सिक्षंत को अपनाना चाहिए ताकि व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों के लिए सशक्त पेशेवर आधार बनाए जा सकें। शिक्षकों को विकसित होने और स्वयं अपनी आवाजें सुन पाने के लिए स्थान देना निहायत जरूरी और महत्वपूर्ण है'' (पृष्ठ 66)।

[6]शिक्षा के आँकड़े, शिक्षा हेतु जिला सूचना प्रणाली से – http://www.dise.in

स्थानों पर फैले शिक्षकों की पहुँच में भी। इस औचित्य पर आधारित नीतियों में सिफ़ारिश की गई है कि शिक्षकों की क्लस्टर-स्तरीय माहवार अकादमिक बैठकों जैसी प्रक्रियाएँ चलें। इन बैठकों को ऐसे मंचों के तौर पर देखा गया है जहाँ शिक्षक एक विकेन्द्रीकृत और परामर्शीय तरीके से मिलकर सोच-विचार सकें और योजना बना सके[7], लेकिन इनका क्रियान्वयन सब जगह एक-सा नहीं रहा है।

1.3 स्वैच्छिक शिक्षक मंच

अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन [फाउण्डेशन] भारत के विभिन्न राज्यों के सरकारी स्कूली तंत्र के साथ पिछले 15 से भी अधिक साल से शिक्षा में गुणवत्ता और समता में बेहतरी के लिए कार्यरत है। शिक्षा में बदलाव एक लम्बे दौर की निरन्तर चलने वाली गहन और व्यवस्थित प्रक्रिया है- इस मान्यता की बुनियाद पर फाउण्डेशन उन क्षेत्रों में अपनी संस्थागत उपस्थिति स्थापित करते हुए काम करता है जहाँ वह बदलाव लाना चाहता है। वर्तमान में यह देश भर के विभिन्न राज्यों में तकरीबन 45 जिलों में 'जिला संस्थानों' के माध्यम से निरन्तर, गहन काम करते हुए हो पा रहा है।[8]

निरन्तर पेशेवर विकास के जरिए अध्यापक की सामर्थ्य को बढ़ाना फाउण्डेशन की कोशिशों के केन्द्र में है। यह इस बात को पहचानते हुए किया जा रहा है कि शिक्षा में शिक्षक की केन्द्रीय भूमिका है। इसी के साथ यह भी, कि शिक्षा में गुणवत्ता तथा समता की बेहतरी के लिए किसी भी सार्थक प्रयास में शिक्षक की सामर्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

पेशेवर शिक्षक विकास के प्रति फाउण्डेशन ने एक दीर्घकालिक, बहुआयामी और एकीकृत दृष्टिकोणअपनाया है। समग्रता में देखें तो यह नजरिया इस बात की बढ़ती हुई समझ पर आधारित है कि शिक्षण का काम एक गतिशील, जटिल और पेशेवर प्रयास है। कोशिश है कि शिक्षक को एक कर्ता और माध्यम के रूप में देखते हुए उसे कई तरीकों से, परस्पर विश्वास और साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देने वाले माहौल में, सीखने के मौके उपलब्ध करवाए जाएँ। इसमें एक-दूसरे से सीखना भी शामिल है। इस दृष्टिकोण का एक केन्द्रीय पक्ष है कि शिक्षकों के लिए सहयोग के साथ-साथ एक-दूसरे से सीखने में मददगार मंचों का होना सम्भव बनाया जाए। स्वैच्छिक शिक्षक मंच पेशेवर शिक्षक विकास के इस एकीकृत नजरिए के तहत ऐसे ही मंच हैं।

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये स्वैच्छिक तौर पर एक-दूसरे से सीखने-सिखाने के मंच हैं जिन्हें फाउण्डेशन ने समर्थ बनाया और बढ़ावा दिया है ताकि शिक्षक मिलकर अनुभव साझा करें, विचारें और सीखें। ये शिक्षकों के निवास या कार्यस्थलों के पास लेकिन स्कूलों से बाहर स्थित हैं। शिक्षक स्कूल के बाद और/या अवकाश के दिनों में - यानी अपने औपचारिक कार्य-समय के बाद - समय-समय पर अकादमिक रुचि के मुद्दों पर चर्चा के लिए मिलते हैं। 'स्वैच्छिक' से अर्थ है कि इन मंचों को सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं हैं और न ही इन्हें कोई शासकीय समर्थन उपलब्ध है - यहाँ तक कि इनमें भाग लेने वाले शिक्षकों को विभाग की ओर से कोई सराहना या स्वीकृति भी नहीं मिलती। मुआवजा, (यात्रा, दैनिक या कोई अन्य) भत्ता या ड्यूटी निभाने के दौरान समय की छूट भी नहीं मिलती।

मंच की बैठक में आमतौर पर 15 से 20 शिक्षकों की उपस्थिति रहती है हालाँकि किसी भी एक सत्र में यह संख्या 6 से 30 के बीच कुछ भी हो सकती है। मंच का एक सत्र आमतौर पर 2 घण्टों का होता है। किसी एक सत्र का एजेण्डा शिक्षा से सम्बद्ध सामान्य मुद्दों से लेकर किसी विषय विशेष से सम्बद्ध चर्चाओं तक कुछ भी हो सकता है। इसे एक ऐसे मंच के रूप में देखा जा रहा है जहाँ शिक्षक लम्बे दौर में जाति, धर्म, लैंगिकता और समता आदि व्यापक सामाजिक मुद्दों के प्रति स्वयं की मान्यताओं और नजरियों पर भी आलोचनात्मक दृष्टि डालें। स्वैच्छिक शिक्षक मंच को निरन्तर चलाए रखने वाला शिक्षकों का एक केन्द्रीय समूह बन जाने पर एजेण्डा शिक्षकों और सुगमकर्त्ताओं द्वारा संयुक्त तौर पर तय किया जाता है।

---

[7]सर्व शिक्षा अभियान - क्रियान्वयन के लिए रूपरेखा, 2011; शिक्षक-शिक्षा पर केन्द्र-समर्थित योजना की पुनर्रचना एवं पुनर्गठन-क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश, 2012.

[8]अधिक वृत्तांत के लिए अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन की वेबसाइट पर जाइये – http://www.azimpremjifoundation.org/

2. अध्ययन का दायरा

फाउण्डेशन द्वारा सबसे पहले ऐसे स्वैच्छिक शिक्षक मंच 2009 में राजस्थान के टोंक और सिरोही जिलों में शुरू किए गए थे। पिछले वर्षों में ये मंच कई स्थानों पर विकसित हुए और बढ़े हैं तथा शिक्षकों के साथ फाउण्डेशन के काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं।

फाउण्डेशन ने अब तक इन मंचों को चलाने का कुछ अनुभव और समझ हासिल कर ली है। राजस्थान के जिला टोंक में स्वैच्छिक शिक्षक मंचों के अनुभव को आधार बनाकर इस अध्ययन में इस समझ के कुछ पहलुओं को प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है।

पेशेवर शिक्षक विकास हेतु सहयोग और एक-दूसरे से सीखने के लिए इन मंचों सरीखे स्थानों के महत्व को समझते-जानते हुए टोंक और सिरोही में फाउण्डेशन के जिला संस्थानों की टीमों ने 2014 में शोध की शुरुआत की। इसका मकसद था कि स्वैच्छिक शिक्षक मंचों के व्यवहार के इर्द-गिर्द एक सिद्धान्त का निर्माण हो। शोध के इस मूल काम ने इन दो स्थानों को अपने दायरे में लिया और यहाँ पर काम कर रहे स्वैच्छिक शिक्षक मंचों की यात्रा मिलती-जुलती सी रही लेकिन यहअध्य यन विशेष तौर पर टोंक से एकत्र जानकारियों पर आधारित है। शोध के लिए जानकारियाँ और आँकड़े 10 शिक्षकों के साथ अर्ध-संरचित व्यक्तिगत साक्षात्कारों और टोंक जिले के 6 खण्डों में शिक्षकों के समूहों के साथ केन्द्रित किस्म की चर्चाओं के माध्यम से एकत्र किए गए। स्वैच्छिक शिक्षक मंचों के कई सत्रों का अवलोकन भी किया गया। इसके अलावा फाउण्डेशन के उन सदस्यों के गहन साक्षात्कार भी लिए गए जो टोंक में स्वैच्छिक शिक्षक मंचों के विचार और स्थापना में गहरे तौर पर शामिल रहे।[9]

यह अध्ययन इस सवाल को सम्बोधित करना चाहता है :

किसी भी विशेष स्थान पर स्वैच्छिक शिक्षक मंचों की शुरुआत और उनके निरन्तर संचालन के लिए क्या आवश्यक है?

इसी के भीतर ये सवाल भी गुथे हुए हैं :

- किसी भी विशेष स्थान पर एक स्थाई-टिकाऊ स्वैच्छिक शिक्षक मंच की शुरुआत और निर्माण के लिए किस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता होती है ?
- शिक्षकों को स्वैच्छिक शिक्षक मंच से वे कौन-से लाभ दिखाई देते हैं जिनके चलते वे उससे जुड़ने को तैयार होते हैं ?

इस अध्ययन की अन्तर्निहित सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ इन सवालों के कोई सामान्य या निश्चित जवाब देने की कोई मंशा नहीं है। सर्वप्रथम, यह अध्ययन केवल एक जिले, यानी टोंक के अनुभव पर ही आधारित है। इसमें उन जानकारियों/आँकड़ों का भी प्रयोग किया गया है, जो मूल रूप से इन विशेष प्रश्नों के उत्तर के लिए एकत्र नहीं किए गए थे। लेकिन आशा है कि इसमें प्रस्तुत अन्तर्दृष्टि की बातें व्यवहार को अनुप्राणित करेंगी और शायद इससे भी अधिक, इस क्षेत्र में और अधिक शोध को प्रोत्साहित करेंगी।

इसके साथ ही, इस अध्ययन को लिखने के दौरान इस बात के महत्व को भी महसूस किया गया कि स्वैच्छिक शिक्षक मंच, फाउण्डेशन के एकीकृत दृष्टिकोण के अन्तर्गत प्रयोग में लाई जाने वाली कई विधियों में से मात्र एक विधि है। इन मंचों के अलावा सेमिनार, छोटी-बड़ी कार्यशालाएँ, पाठ्यक्रम, परस्पर सहयोग करते हुए शिक्षण सामग्री का विकास भी इन तौर-तरीकों में शामिल रहे हैं। इतनी विभिन्न प्रकार की विधियों के बीच सम्पर्क, सम्बन्ध और सुदृढ़ीकरण की निरन्तरता बनाए रखने से स्वैच्छिक शिक्षक मंचों समेत इनमें से प्रत्येक विधि की प्रभावशीलता को बढ़ावा मिलता प्रतीत होता है। बहरहाल, यह अध्ययन इन सम्बन्धों की व्यापक-विस्तृत पड़ताल नहीं करता।

---

[9] इन साक्षात्कारों से कुछ प्रतिनिधिक स्वर (विशेषकर शिक्षकों के) भी इस अध्ययन में प्रस्तुत किए गए हैं।

3. टोंक का सन्दर्भ

3.1 जिले की विशेषताएँ

टोंक राजस्थान के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसकी अर्थव्यवस्था मूल तौर पर कृषि-आधारित है। 2011 की जनगणना के मुताबिक टोंक के कुल क्षेत्र का केवल 3% शहरी है। इसके छः विकास खण्ड हैं- मालपुरा, निवाई, टोंक, टोडारायसिंह, देवली तथा उनियारा। 1.42 मिलियन (10 लाख 42 हज़ार) की आबादी के साथ यह राजस्थान का 23वाँ सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस जिले की साक्षरता दर 62.46% है। पुरुष-महिला साक्षरता का अन्तर पूरे देश में इस जिले में सबसे अधिक है - पुरुषों में 78.27% साक्षरता है और महिलाओं में 46.01% ।[10]

टोंक में 1724 राजकीय स्कूल हैं। इनमें 8517 शिक्षक हैं और 1,71,820 विद्यार्थी का नामांकन है। जिले में 138 स्कूल एकल शिक्षक स्कूल है जो कि कुल प्रारम्भिक शिक्षा (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय) के स्कूलों का 12.02% हैं। प्रति-स्कूल शिक्षकों की औसत प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर 3.59 और कुल मिलाकर 4.94 है।[11]

2006 में पंचायती राज मन्त्रालय ने टोंक को देश के 250 सबसे पिछले जिलों में से एक घोषित किया (जब कि देश में कुल 640 जिले हैं)। यह राजस्थान के उन 12 जिलों में से एक है जिन्हें पिछड़े क्षेत्रों हेतु अनुदान राशि प्रोग्राम के तहत पैसा मिलता है।[12]

3.2 टोंक में फाउण्डेशन

फाउण्डेशन ने टोंक में 2005 में लर्निंग गारण्टी प्रोग्राम (एल.जी.पी.) के तहत काम करना शुरू किया। मूल्यांकन-आधारित सुधारों के माध्यम से कक्षाओं में बेहतर अन्त:क्रिया के लिए प्रयास इस प्रोग्राम के केन्द्र में था। टोंक उन जिलों में से एक था जहाँ यह प्रोग्राम चलाया गया। 2005 से 2011 तक यहाँ फाउण्डेशन के कामों में एल.जी.पी. का दूसरा चरण और कम्प्यूटर एडिड लर्निंग प्रोग्राम (सी.ए.एल.) जैसे अन्य प्रोग्राम शामिल थे और ये सब सरकार के निकट सहयोग से लागू किए गए थे। इस अवधि में फाउण्डेशन का एक व्यक्ति टोंक के प्रत्येक विकास खण्ड में कार्यरत था।

2011 के आते तक फाउण्डेशन ने विशेष, समयबद्ध कार्यक्रमों से दूरी बनाने का निर्णय ले लिया। निरन्तर, गहरी और व्यवस्थित सम्बद्धता के महत्व का एहसास होने पर फाउण्डेशन ने उन सब भौगोलिक क्षेत्रों में अपनी संस्थागत उपस्थिति स्थापित करने की शुरुआत कर दी जहाँ वह शैक्षिक बदलाव के लिए कार्यरत था। यह काम अधिकतर पेशेवर शिक्षक विकास में मददगार होने पर केन्द्रित हो गया। इसी के चलते टोंक समेत कई जिला संस्थानों की स्थापना की गई।

इस परिवर्तन के साथ ही फाउण्डेशन ने टोंक में एक बढ़ी और सशक्त अकादमिक टीम बनाना शुरू किया। प्रत्येक खण्ड में अब दो व्यक्तियों की टीम थी जबकि बाकी की टीम जिला मुख्यालय पर स्थित थी। जिला मुख्यालय पर मौजूद टीम का काफी समय-कम से कम एक सप्ताह प्रति-व्यक्ति प्रति-माह-विकास खण्डों में शिक्षकों के साथ सीधे कार्य करने में भी लगने लगा। पिछले सालों में इस जिले की टीम की संख्या बढ़कर 50 से भी अधिक तक जा पहुँची है और इनमें से भी अधिकतर विकास-खण्डों या उन छोटी जगहों पर स्थित हैं जहाँ कई शिक्षक रहते हैं। पूरे जिले में फैली टीम में स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों और शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में गहरी निपुणता रखने वाले व्यक्तियों का अच्छा मेल है।

टीम में हुई इस बढ़त के साथ-साथ इस दौर में फाउण्डेशन ने टोंक के जिला मुख्यालय पर जिला संस्थान तथा विकास-खण्ड स्तर के गतिविधि केन्द्र खोलकर अपनी भौतिक उपस्थिति एक और तरह से भी दर्ज करवानी शुरू कर दी। विकास-खण्ड स्तर के गतिविधि केन्द्रों को अब लर्निंग एण्ड रिसोर्स सेन्टर (ज्ञान एवं संसाधन केन्द्र) के नाम से जाना जाता है और यहाँ शिक्षकों, विद्यार्थियों, युवाओं और समुदाय के सदस्यों पर केन्द्रित शिक्षा-संसाधन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पठन, चर्चाओं,

---

[10]जिला जनगणना रिपोर्ट देखें इस लिंक पर – http://www.census2011.co.in/district.php

[11] जिला DISE 2016–17 अनुसार http://www.dise.in

[12]पंचायत राज मंत्रालय की वेबसाइट http://panchayat.nic.in/brgf/

कार्यशालाओं, सीखने-सिखाने से सम्बद्ध शिक्षण सामग्री आदि के लिए जगह रहती है। ये केन्द्र पुस्तकालयों, कम्प्यूटरों और इन्टरनेट की सुविधाओं से लैस हैं। किराये पर ली गयी निजी इमारतों में स्थित हैं। ये सब शिक्षकों के बड़े समूहों के लिए आसान पहुँच वाली जगहों पर हैं।

4. टोंक में स्वैच्छिक शिक्षक मंचों का अनुभव

4.1 विचार कैसे अस्तित्व में आया

स्वैच्छिक शिक्षक मंच स्थापित करने की प्रक्रिया की शुरुआत 2009 में मालपुरा विकास खण्ड से हुई। इसके पीछे पिछले सालों के एकत्र हुए अनुभव और अन्तर्दृष्टि थे। ये विचार और प्रक्रिया शिक्षकों की जरूरतों, उनकी चिन्ताओं तथा चुनौतियों और स्थानीय परिवेश की घनिष्ठ और गहरी समझ से विकसित हुए। यह समझ एक लम्बे अरसे तक शिक्षकों और व्यवस्थाओं के साथ काम करते हुए बनी थी।

> **"शिक्षकों को यह अच्छा लगा कि उनका भी अपना एक नेटवर्क है। एक बार वे आने लगे तो उन्हें अच्छा लगने लगा और वे विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। सब स्वेच्छा से आते थे।**
>
> *– प्रतिभागी शिक्षक"*

एल.जी.पी. के प्रथम चरण (2005-2008) में शिक्षकों के साथ अन्त:क्रिया के दौरान देखा गया कि शिक्षक अलग-थलग रहकर काम करते हैं। उनके पास ऐसी जगहें नहीं हैं जहाँ वे अपने सहकर्मियों के साथ सहयोग करते हुए, कक्षा में किए जा रहे काम और सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा कर पाएँ। शिक्षकों के संग तथा क्लस्टर, विकास-खण्ड और जिला स्तरों पर शिक्षक सहायता समूहों के साथ काम करने वाले सदस्यों को यह भी स्पष्ट था कि सीखने-सिखाने के तौर-तरीकों में बदलाव लाने के लिए दक्षता संवर्धन एक पूर्व आवश्यक शर्त है। जैसा कि पहले जिक्र में आया है, स्नातक स्तर पर बहुत ही अपर्याप्त किस्म की शिक्षा और जिस प्रकार की सेवा पूर्व शिक्षा उन्हें प्राप्त थी, उसे देखते हुए यह और भी अधिक आवश्यक हो गया कि उन्हें प्रभावशाली सेवाकालीन सहायता मिले।

2009 में शुरू हुए एल.जी.पी. के दूसरे चरण के काम की माँग थी कि फाउण्डेशन के सदस्य सभी जिलों और विकास खण्डों में सरकार के सेवाकालीन प्रशिक्षण-कार्यक्रमों में भाग लें और उनमें सहायक भी हों। कक्षा के भीतर की प्रक्रियाओं में मदद करने तथा प्रशिक्षणों के प्रभाव और प्रासंगिकता को समझने के लिए वे स्कूलों में भी गए। शिक्षकों के साथ इस मेल-जोल ने मौजूदा व्यवस्था के मुद्दों और शिक्षक समुदाय द्वारा महसूस की जा रही चिन्ताओं की समझ को बढ़ाने में मदद की।

शिक्षकों के अनुसार प्रशिक्षणों में स्कूलों और कक्षाओं के वास्तविक मसलों के बारे में बहुत कम ही बात होती थी और इसलिए वे उन्हें अपने लिए प्रासंगिक नहीं लगते थे। ये प्रशिक्षण आमतौर पर लेक्चर वाले तरीके से चलते थे और इनमें कम ही गुंजाइश रहती थी कि शिक्षक भी अपने विचार और अनुभव साझा कर पाएँ। यह भी महसूस किया जा रहा था कि सन्दर्भों की व्यापक विविधता और विकास की आवश्यकताओं को खासतौर पर ध्यान में रखें तो सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तर पर तैयार किए गए मॉड्यूल शिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे। इसके अलावा, राजस्थान सरकार ने क्लस्टर संसाधन केन्द्र भी बन्द कर दिए थे- ये अकादमिक स्तर के वे सहायक ढाँचे हैं जिनके साथ फाउण्डेशन के सदस्य सरकार के सहयोग से काम कर रहे थे। इसके चलते फाउण्डेशन ने सरकारी प्रक्रियाओं से स्वतन्त्र ऐसे वैकल्पिक ढाँचों की तलाश और पड़ताल शुरू की, जो निरन्तर सामर्थ्य-निर्माण में सहायक हों।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह उचित ही प्रतीत होता था कि शिक्षकों के लिए सोचने-विचारने और आत्म-निरीक्षण में सहायक कोई मंच स्थापित हो। यहाँ वे कक्षा के अपने अनुभवों और साझा दिलचस्पी के मुद्दों पर चर्चा कर सकें। जैसा कि फाउण्डेशन के एक सदस्य ने कहा, "..... हर पेशे में कुछ समूह होते हैं जिनमें अनुभव और मुद्दे साझा किए जाते हैं लेकिन शिक्षकों में ऐसे कोई समूह नहीं थे जहाँ वे नियमित अन्तराल पर मिलकर वर्तमान और अकादमिक मुद्दों पर बात कर सकें।"

स्वैच्छिक शिक्षक मंचों के अपने शुरुआती अनुभव पर नज़र डालने वाले शिक्षकों के मन में इस आवश्यकता की गूँज सुनाई पड़ती थी। लगता है कि वे एक पेशेवर समुदाय के रूप में एक साथ आने के मूल्य को समझते थे। उन्हें विश्वास है कि इन मंचों ने उन्हें मिलने, चर्चा करने और एक-दूसरे से सीखने के लिए एक जरूरी स्थान दिया। उन्हें महसूस हुआ कि यह मंच न केवल पेशेवर ज्ञान हासिल करने में उनके लिए सहायक हो सकता है बल्कि एक पेशेवर समुदाय होने की भावना भी प्रदान करेगा।

4.2 स्वैच्छिक शिक्षक मंचों की शुरुआत करना, और विश्वास जीतना

शुरुआत की प्रक्रिया में पहले कदम के तौर पर इस विचार को सरकारी स्रोत-व्यक्तियों के साथ साझा किया गया (ये सरकार की शिक्षक-सहायक व्यवस्था के सदस्य थे)। इसके साथ ही यह विचार कुछ ऐसे शिक्षकों से भी साझा किया गया जिनके बारे में फाउण्डेशन के सदस्यों को अनुभव के आधार पर जानकारी थी कि वे नए विचारों का स्वागत कर सकते हैं। उनकी सलाह पर शुरुआत करते हुए, अच्छा काम करने वाले प्रतिबद्ध और विकास के अवसरों के प्रति खुलापन रखने वाले कुछ शिक्षकों को चिह्नित किया गया। दूसरे शब्दों में, ये स्व-प्रेरित शिक्षक थे। शिक्षकों के साथ जान-पहचान और पहले से भरोसे का रिश्ता होना शुरुआत में ऐसे शिक्षकों को चिह्नित करने में बहुत सहायक रहा।

> **"फाउण्डेशन के सदस्य ने शिक्षकों से मिलना शुरू किया। कुछ पुराने शिक्षकों ने उनकी मदद की..... हम सरकारी प्रशिक्षणों में भाग लेते थे जहाँ फाउण्डेशन के सदस्य भी आते थे और फाउण्डेशन तथा स्वैच्छिक शिक्षक मंच के काम के बारे में बात साझा करते थे। इस तरह शिक्षकों ने मंच में शामिल होना शुरू कर दिया।**
>
> *- प्रतिभागी शिक्षक"*

फाउण्डेशन के सदस्यों ने स्कूलों के व्यापक दौरे किए और चिह्नित शिक्षकों के साथ व्यक्तिगत तौर पर इस विचार के इर्द-गिर्द चर्चा की। उन्होंने काफी समय स्कूलों तथा अन्य मंचों पर शिक्षकों के साथ सम्बन्ध बनाने और उनके साथ इस विचार को साझा करने में लगाया (उदाहरण के लिए, विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों पर शिक्षकों की बैठकों और सरकारी मुख्याध्यापकों की बैठकों में यह काम किया गया)। यह सब करने से पहले टीम में आन्तरिक चर्चाओं के माध्यम से एक मोटा वैचारिक स्वरूप और क्रियान्वयन के सिद्धान्त विकसित कर लिए गए थे :

- यह शिक्षकों का मंच होगा और वे स्वयं ही तय करेंगे कि कब, कहाँ, किस विषय पर चर्चा के लिए मिलना है, और मंच को आगे कैसे ले जाना है।
- शिक्षक स्कूल के समय के बाद मिला करेंगे और भागीदारी करने वालों को किराया-भाड़ा या कोई अन्य भत्ता नहीं दिया जाएगा।
- चर्चा का विषय भाग लेने वालों के साथ विचार-विमर्श से तय किया जाएगा। शिक्षक स्वयं चर्चा में सहायक होने की कोशिश किया करेंगे।
- यह एक 'लोकतांत्रिक' मंच होगा। भाग लेने वालों में कोई श्रेणीबद्ध व्यवस्था नहीं होगी। प्रतिभागी एक-दूसरे का सम्मान करेंगे। प्रत्येक की गरिमा सर्वोपरि होगी। मुद्दों पर प्रत्येक का बराबर अधिकार होगा और सबको अपने विचार रखने के पर्याप्त तथा बराबर के मौके दिए जाएँगे।

इन बातों पर सम्भावित प्रतिभागियों और अन्य हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। जिनसे बात की गई, उनमें से अधिकतर शिक्षक इस विचार के पक्ष में लग रहे थे। बड़ी संख्या में (करीब 40 से 50) शिक्षकों और खण्ड के कुछ चिह्नित अधिकारियों के साथ व्यवस्थित बातचीत के बाद ही पहली बैठक की गई। यह 30 जुलाई 2009 को मालपुरा में हुई जहाँ विकास खण्ड के करीब 20 शिक्षकों और स्रोत व्यक्तियों ने भाग लिया- यह संख्या सम्पर्क किए गए लोगों के आधे से कुछ कम की थी।

व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षकों को चिह्नित किए जाने और उनके साथ शुरुआती चर्चाओं की प्रक्रिया के चलते आम सहमति विकसित करने और इस विचार के लिए समर्थन प्राप्त करने का रास्ता तैयार हो गया। उदाहरण के लिए, पहली बैठक में कुछ शिक्षकों ने इस बात के लिए बहस की कि यह बैठक स्कूल के समय में ही की जाए और इसमें भाग लेने के लिए ड्यूटी लीव ली जाए। लेकिन क्योंकि सम्भावित शिक्षकों को बहुत ध्यान से चिह्नित किया गया था, और स्वैच्छिक शिक्षक मंच के विचार पर उनके साथ विस्तार से बात की जा चुकी थी, उनमें से अधिकतर ने मूल रूप में चर्चित विचार का समर्थन किया और सहमति बनी कि बैठकें स्कूल-समय के बाद ही होंगी और ड्यूटी लीव नहीं माँगी जाएगी।

प्रत्येक विकास खण्ड में लगभग एक-सी प्रक्रियाएँ अपनाई गईं- यानी विचार को विकास खण्ड के परिचित शिक्षकों और स्रोत-व्यक्तियों के साथ साझा किया गया और स्कूलों में जाकर तथा अन्य मंचों के माध्यम से अन्य शिक्षकों तक पहुँच बनाई गई। नतीजतन, प्रत्येक विकास खण्ड में पहली बैठक में उपस्थिति काफी अच्छी रही हालाँकि उसके बाद की बैठकों में यह कुछ कम हुई। शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं से यह भी संकेत मिलता है कि जैसे-जैसे रिश्ता और भरोसा बनता गया,समय के साथ यह प्रक्रिया परिपक्व हुई। वे फाउण्डेशन के सदस्यों को अन्य मंचों पर भी मिलते थे। इसका सकारात्मक प्रभाव स्वैच्छिक शिक्षक मंचों पर भी पड़ा। एक नवगठित मंच को आमतौर पर 6-7 महीनों में फैली कुछ बैठकों में धीरे-धीरे रूप-आकार दिया गया। शुरुआती बैठकें इन मंचों के क्रियान्वयन के सिद्धान्तों पर एक साझा समझ बनाने के लिए समर्पित थीं। इसलिए 3-4 बैठकों के बाद शिक्षकों का एक समूह बन पाया जो मंच के विचार से सहमत था और जिसे उससे कुछ साझा आशाएँ थी।

उस समय इस प्रक्रिया में शामिल फाउण्डेशन के सदस्य बताते हैं कि इससे पहले कि मंच एक प्रभावशाली ढाँचा बन पाता, इसके लिए बहुत धैर्य, डटे रहने का माद्दा तथा लोगों को जोड़ने और तैयारी की दरकार थी। मालपुरा में मंच 2010 में शुरू हो पाया। फाउण्डेशन के सदस्यों को शिक्षकों के साथ एक साझा सोच और सिद्धान्त विकसित करने में करीब एक साल का समय लगा।

इसी बीच जब मालपुरा विकास खण्ड का स्वैच्छिक शिक्षक मंच विकसित हो रहा था, अन्य खण्डों में भी ऐसे ही मंच बन रहे थे। 2010 के आते-आते, टोंक के सभी छह विकास खण्डों में एक-एक मंच की शुरुआत हो चुकी थी। 2011 तक स्थिति 2010 के मुकाबले बहुत कुछ भिन्न हो चुकी थी। अब उन विकास खण्डों के वे शिक्षक भी,जहाँ ये मंच नहीं थे, अनुरोध कर रहे थे कि उनके यहाँ ये मंच बनें। 2012 में फाउण्डेशन ने 10 ऐसे मंचों को समर्थन दिया जिनमें से 2 को शिक्षकों ने स्वतन्त्र तौर पर शुरू किया और वे ही उनके चलाने में सहायक हुए। मालपुरा और उनियारा विकास खण्डों में दो-दो स्वैच्छिक शिक्षक मंच थे।

4.3 किस बात से शिक्षक आने के लिए प्रेरित हुए

शिक्षकों की बातों से प्रतीत होता है कि इन मंचों पर आने के लिए इन कारकों ने प्रेरक का काम किया- यह विश्वास कि वे परिवर्तन के वाहक हो सकते हैं, बेहतर शिक्षक बनने की इच्छा तथा पेशागत गर्व और सम्मान का होना।

> **"मैं अपने एक शिक्षक-मित्र के कहने से पहली बैठक में गया। अनौपचारिक तथा दोस्ताना माहौल ने मुझे निरन्तर आते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं लर्निंग गारण्टी प्रोग्राम में मुख्य प्रशिक्षक रह चुका था। इसलिए मैं जानता हूँ कि फ़ाउण्डेशन जो भी काम करता है, अच्छा ही होता है।"**
>
> *- प्रतिभागी शिक्षक*

जैसा कि शिक्षकों ने व्याख्या की, कार्यशालाओं और गोष्ठियों जैसे अन्य मंचों पर एवं उनके अपने स्कूलों में चर्चाओं और मिलने-जुलने-आदान-प्रदान से वे स्वैच्छिक शिक्षक मंचों के गठन की ओर बढ़े। फाउण्डेशन के सदस्यों द्वारा इस विचार से अवगत करवाए जाने के चलते वे इसकी बैठकों में आने के लिए तैयार हो गए। शिक्षकों का कहना है कि वे इन

> **अगर मैं खुद में बेहतरी लाता हूँ तो शिक्षा व्यवस्था की गिरावट को भी रोकने में मददगार हो सकता हूँ। मैं शिक्षण से जुड़ा महसूस करना चाहता हूँ, अपने विषय में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ - विद्यार्थियों का सीखना बेहतर होता है तो उनका उत्साह भी बढ़ता है।**
>
> *- प्रतिभागी शिक्षक*

मंचों में पहली बार या तो फाउण्डेशन के सदस्यों की विश्वसनीयता की वजह से आए या फाउण्डेशन के सदस्यों (यानी 'स्रोत-व्यक्तियों') के साथ अपने सम्बन्ध के कारण या जिज्ञासावश या फिर अन्य साथी शिक्षकों से 'सुनी हुई बात' के भरोसे पर।

देखने में आया कि कई अध्यापकों में सीखने और स्वयं को बेहतर करने की इच्छा तो थी लेकिन अवसर न मिलने की वजह से उनमें असन्तुष्टि का भाव पैदा हो गया था। इसलिए शुरुआत की उनकी कुछ अनौपचारिक भेंटों का कारण भी एक हद तक वह असन्तुष्टि थी जो विद्यार्थियों के सीखने की मौजूदा स्थिति, स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं से सम्बद्ध हालात, सीखने-सिखाने की प्रथाओं और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में बनी हुई धारणा से पैदा हुई थी। इसी असन्तुष्टि ने उन्हें स्वयं की बेहतरी के लिए इस मंच से सम्बन्ध बनाने की ओर खींचा। उन्हें अपने शिक्षण की दक्षताओं और ज्ञान को और अधिक गहरा करने की आवश्यकता महसूस हुई। उनका मानना था कि पेशेवर दक्षता में बेहतरी होगी तो विद्यार्थियों के सीखने में भी बढ़ोतरी होगी- और इस विश्वास ने उन्हें सीखने के लिए प्रेरित किया। पहले से अधिक बेहतर होने का यह जज्बा आंशिक तौर पर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता से भी उत्पन्न हुआ।

> **ये शिक्षक कुछ काम करना चाहते हैं, नई बातें सीखना चाहते हैं; वे अपनी इच्छा से यहाँ आते हैं। जो शिक्षक शिक्षा में बेहतरी चाहते हैं, वे इसका हिस्सा हैं। कोई समस्याएँ होती हैं तो वे सम्भव समाधानों तक पहुँचने के लिए सकारात्मकता के साथ चर्चा करते हैं।**
>
> *- प्रतिभागी शिक्षक*

और उन्होंने इस बात को भी समझा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक मूल आवश्यकता शिक्षकों द्वारा स्वयं को विकसित करने की है। शिक्षकों ने महसूस किया कि वे शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में योगदान दे सकते हैं, और इस भावना ने उनके लिए प्रेरक का काम किया। निजी शिक्षा की बढ़ती लोकप्रियता का एहसास भी उनके लिए चिन्ता का स्रोत था। उनमें असहाय होने का भाव था क्योंकि उन्हें अपनी इन चिन्ताओं को अभिव्यक्त करने का तरीका नहीं सूझ रहा था। स्वैच्छिक शिक्षक मंच उन्हें अभिव्यक्ति के मंच के रूप में दिखाई दिया और कुछ ठोस मुद्दों को सम्बोधित करने के मंच के रूप में भी।

यह भी लगता है कि शिक्षक इस मंच से सम्बद्ध होने में पेशागत गर्व महसूस करते थे। यह आम राय थी कि सकारात्मक नजरिया, सीखने-सिखाने में दिलचस्पी, स्वयं में सुधार और बच्चों तथा शिक्षा के लिए फिक्रमन्द होना इन मंचों की ओर आकर्षित होने वाले शिक्षकों में अलग से दिखाई देने वाली विशेषताएँ हैं। उन्हें लगता था कि इस मंच से सम्बन्ध होने पर उनके साथी शिक्षकों में उनका रुतबा बढ़ता है और इसी के चलते उनके पेशागत गौरव में भी बढ़ोतरी होती है।

बहुत ही जल्दी स्वैच्छिक शिक्षक मंच पर न आने वाले शिक्षकों को दो समूहों में बाँट लिया गया- एक तो वे जो कुछ मजबूरियों के चलते नहीं आ पाते थे, और दूसरे वे जो इसलिए नहीं आतेथे कि उन्हें इसके लिए समय निकालना पड़ता था तथा वे इसे एक बन्धन मानते थे और उन्हें स्वयं को बेहतर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मंच में आने वाले शिक्षकों ने इस दूसरी तरह के शिक्षकों को नापसन्द किया- उन्होंने स्वयं को उनसे अलग करने में अधिक देर नहीं लगाई। उन्हें महसूस हुआ कि इन शिक्षकों को स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता से कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि जब कुछ अन्य शिक्षकों ने उनसे इन मंचों के बारे में सुना और कक्षा में होने वाले लाभ देखे, तो वे भी मंच में जाने के लिए प्रभावित हुए।

4.4 स्वैच्छिक शिक्षक मंचों का स्थायित्व और निरन्तरता में चलना

ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वैच्छिक शिक्षक मंच एक बहुत ही गहरे तक महसूस की गई लेकिन असम्बोधित जरूरत को सम्बोधित कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक पेशेवर शिक्षक विकास से सम्बद्ध प्रयासों की बात है, विचार के रूप में यह स्वभावत: उसके विरुद्ध जाता लगता था। प्रशिक्षण-प्रेरित मॉडल की विरासत की बात अलग, ये मंच एक ऐसे सन्दर्भ में शुरू किए गए थे, जो शिक्षकों को बहुत ही चुनौतीपूर्ण लगता है। नतीजा यह कि शिक्षकों में अपने पेशेवर विकास के प्रति काफी निम्न स्तर की प्रेरणा रहती है। लेकिन लगता है कि इन चुनौतियों के बावजूद टोंक में इसके विकास और निरन्तर बने रहने में कुछ महत्वपूर्ण कारकों ने भूमिका निभाई है।

4.4.1 लगन और धैर्य

लगातार कोशिशों के बावजूद शुरुआती बैठकों में कम शिक्षकों का आना बड़ी चिन्ता का सबब था- यहाँ तक कि यह स्थिति शुरुआत के एक साल बाद, यानी 2010 तक भी रही। 2010 में हुई अधिकतर बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या 10 से भी कम रही। इसका प्रभाव फाउण्डेशन के सदस्यों के मनोबल पर भी पड़ा, जबकि इन मंचों में छुपी सम्भावनाओं में विश्वास होने के लिए उनके मनोबल का बना रहना जरूरी था। ऐसा हो पाने पर ही मंचों को पोषित किया जा सकता था और तैयारी तथा चर्चाओं की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता था। ऐसे उदाहरण भी रहे जब कोई स्रोत-व्यक्ति जयपुर से चलकर टोंक पहुँचा और पाया कि बस दो ही लोग बैठक में आए हैं। यकीनन यह बहुत ही हतोत्साहित करने वाला अनुभव था।

लेकिन बीच-बीच में इस तरह के कई अनुभवों और विस्तृत चर्चाओं के बाद सदस्यों में एक साझा समझ बनी कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे स्थापित होने में कुछ समय लगेगा; शुरुआती बैठकों में कम हिस्सेदारी का होना इसलिए तय था क्योंकि यह अपने तरह की नई ही पहल कदमी थी, शिक्षकों के लिए यह अवधारणा अनजानी थी, और जैसा कि ऊपर बात आई ही है, सांस्कृतिक स्तर पर भी यह कुछ हद तक एक अजनबी सी बात थी। शुरुआती चरण के बाद भी स्वयंसेवी भावना घटती-बढ़ती रहती थी, और इसी के साथ मंचों में सहभागिता भी कम-ज्याादा होती रहती थी। सदस्यों ने तय किया कि कम लोगों के आने को दोष नहीं दिया जा सकता लेकिन वे शिक्षकों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के तरीके तलाशेंगे। उदाहरण के लिए, बड़ी संख्या में शिक्षकों तक पहुँच और विश्वसनीयता बनाने के लिए सरकार के सेवाकालीन प्रशिक्षणों[13] में निरन्तर भागीदारी की गई। यह शिक्षकों और उनके पेशेवर विकास के प्रति फाउण्डेशन के दृष्टिकोण, उसके काम की गुणवत्ता और सदस्यों के विशेषज्ञ ज्ञान को दर्शाते हुए किया गया।

> **"स्वैच्छिक शिक्षक मंचों में शामिल होने वाले शिक्षकों को लम्बे दौर तक निरन्तर इनका हिस्सा बने रहना चाहिए। छिटपुट उपस्थिति, आना बन्द कर देना अच्छी बात नहीं है; ये बातें इस वजह से हो सकती हैं कि मंच से इनकी उम्मीदें अलग तरह की हैं। हो सकता है कि स्वैच्छिक शिक्षक मंच को छोड़ देने वाले शिक्षक उस सबको अच्छी तरह न समझ पा रहे हों, जो मंच में होता है। बस केवल एक-दो बार आने से बात नहीं बनती....."**
>
> *- प्रतिभागी शिक्षक*

इसके साथ ही यह भी सहमति बनी कि स्वैच्छिक शिक्षक मंचों में किए जाने वाले कार्य की गुणवत्ता और की जाने वाली सहायता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यह तय हुआ कि सदस्य और अधिक शिक्षकों को साथ लाने के लिए प्रयास जारी रखेंगे लेकिन चर्चा की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भाग लेने वालों की संख्या में कमी की वजह से सत्रों की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। जैसा कि फाउण्डेशन के एक सदस्य ने कहा, ''..... किसी सत्र में शिक्षक 2 हों चाहे 40, हमारे सदस्य सच्चे मन से काम करते हुए गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे।

[13] अधिकतर प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकार के महत्वपूर्ण सर्वशिक्षा अभियान के तहत। [13]

दोगुना प्रयास करने पर भी जुड़े लोगों के जज्बे को बनाए रखना और नए शिक्षकों को अपने घेरे में लाना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य सिद्ध हुआ। प्रत्येक बैठक में समीक्षा की जाती और शिक्षक तथा फाउण्डेशन के सदस्य इकट्ठे बैठकर उन शिक्षकों से मिलने की योजना बनाते जो पिछली कुछ बैठकों में अनुपस्थित रहे थे ताकि उनके न आ पाने के कारणों का पता लग सके। साथ ही समान सोच के अन्य शिक्षकों को जोड़ने का प्रयास भी रहता। फाउण्डेशन के सदस्य इन मंचों के बारे में बात करने और इसकी बैठकों में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों से मिलने के सभी मौको का लाभ उठाते थे – स्कूलों में, सड़क पर, घरों पर भी।

बावजूद इसके कि बैठकों का प्रोग्राम 'लोकतांत्रिक' प्रक्रियाओं के माध्यम से तय होता था, एक और चुनौती समय की पाबन्दी न होने की थी। बैठक के लिए कम समय उपलब्ध रहता था और समूह भी छोटा था– इसके चलते कुछ ही लोगों का भी देर से आना चर्चा की प्रक्रिया को कठिन बना देता था। इस समस्या पर खुली चर्चा की गई। इस बात पर एक राय नहीं थी कि देर से आने वालों की प्रतीक्षा की जानी चाहिए या नहीं। अन्त में निर्णय लिया गया कि देर से आने वालों का पाँच से दस मिनट इन्तजार किया जाएगा लेकिन इस दौरान भी समय पर आ चुके लोगों को किसी न किसी सार्थक काम या गतिविधि में व्यस्त रखा जाएगा। शुरू के 10 मिनट पिछली बैठक की रिपोर्ट पढ़ने में लगाए जाने लगे, और कभी-कभी शिक्षा से सम्बद्ध वीडियो देखने में। यह भी तय हुआ कि बैठक में आने वालों को एक दिन पहले या उसी दिन बैठक से करीब एक घण्टा पहले याद दिलाया जाए। इससे बहुत हद तक मुद्दा हल हो गया।

दिलचस्प बात यह है कि शिक्षकों में भी लगन और धैर्य की आवश्यकता की गूँज सुनाई दी। एक शिक्षक ने इस बात को समझने की आवश्यकता को अभिव्यक्त किया कि इस प्रक्रिया से लाभ उठाए जाने के लिए समय तो लगेगा। स्पष्ट है कि वे इस बात को समझते हैं कि ये लाभ किसी एक विशेष दिन प्राप्त होने वाले लाभों तक सीमित नहीं हैं बल्कि कई अन्य बातों तक भी जाते हैं – जैसे कि शिक्षकों के नेटवर्क का हिस्सा होना, सम्बन्ध और सामुदायिक भावना विकसित करना– और यह समय तथा कुछ निरन्तरता के साथ ही हो पाना सम्भव है।

इस सबके चलते इस बात पर बल तो देना ही होगा कि इन मंचों के इर्द-गिर्द उत्साह और गति को बनाए रखने के लिए शिक्षकों के साथ लगातार प्रयासों की आवश्यकता है। कहना न होगा कि फाउण्डेशन के पास इन स्थानों पर पक्के तौर पर कोई टीम मौजूद न होती तो इस तरह की लगन सम्भव न होती – यानी केवल बैठकों और सत्रों में सहायक होने के लिए आने-जाने वाली टीम नहीं बल्कि स्थाई तौर पर इन जगहों पर रहने वाली टीम।

4.4.2 उपयुक्त और प्रासंगिक विषय

स्वैच्छिक शिक्षक मंच की यात्रा की शुरुआत में ही फाउण्डेशन के सदस्य जान गए कि शिक्षकों की उपस्थिति और भागीदारी पर विषयों के चयन और आदान-प्रदान की गुणवत्ता का असर पड़ता है। शिक्षक चाहते थे कि विषयवस्तु सीधे-सीधे कक्षा से सम्बद्ध उन बातों पर केन्द्रित हो जिन्हें वे सीधे तौर पर कक्षा में लागू कर पाएँ। इसी के चलते शुरू की बैठकें पूरी तरह से शिक्षण-शास्त्र, शिक्षण की नवाचारी प्रथाओं और कक्षा से सम्बद्ध मुद्दों पर ही केन्द्रित रहीं। इसी का नतीजा था कि बैठकों में उपस्थिति 5-6 से बढ़कर 15-20 शिक्षकों तक की हो गई।

मूल इरादा तो सामाजिक मुद्दों तथा पैठ जमाए हुए विश्वासों-मान्यताओं पर चर्चाओं का और इसके माध्यम से शिक्षकों को अपनी धारणाओं और प्रवृत्तियों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करने का भी था। लेकिन महसूस किया गया कि इन मुद्दों को अन्य चर्चाओं में बुनते हुए, अधिक सुव्यवस्थित तरीके से बीच में लाया जाना चाहिए। साथ ही, इन पर बात तब ही होनी चाहिए जब समूह में एक हद तक का परस्पर विश्वास और सहज भाव विकसित हो चुका हो। इसीलिए

> **"हम जो कुछ अब तक चर्चा में लाए हैं, वह प्राइमरी कक्षाओं के लिए है; हम बड़ी कक्षाओं पर ध्यान नहीं केन्द्रित कर रहे लेकिन आगे बढ़ते हुए हमें ऐसा करने की जरूरत है।"**
>
> *– प्रतिभागी शिक्षक*

शुरुआती बैठकों में ध्यान कक्षाओं सम्बन्धी प्रथाओं और व्यवहार पर ही केन्द्रित रहा। इसके साथ ही ध्यान रखा गया कि होने वाली बातचीत शिक्षा से सम्बद्ध अफ़सर शाही पर भड़ास निकालने या राजनैतिक चर्चाओं की दिशा में न जाए। सत्र में सहायक व्यक्ति में काफी कुशलता और समझ की दरकार थी ताकि शिक्षकों को चुनौतियों तथा व्यवस्थागत मुद्दों पर अभिव्यक्ति का मौका तो मिले लेकिन चर्चा का अपेक्षित स्तर बना रहे और वह दिग्भ्रमित न हो।

प्रत्येक बैठक के अन्त पर अगला विषय सामूहिक तौर से तय कर लिया जाता था ताकि शिक्षकों में मंच के प्रति अपनत्व की भावना को प्रोत्साहन मिले। इसके चलते आमतौर पर विभिन्न तरह के मुद्दे चयन के लिए आते थे। इनमें शिक्षा पद्धति से लेकर शिक्षा के व्यापक मुद्दों तक की बात होती थी। हाँ, सबकी सहमति के किसी एक विषय को चिह्नित कर पाने की चुनौती बनी रहती थी। यदि किसी शिक्षक द्वारा लगातार तीन-चार बार सुझाया गया कोई विषय सम्बोधित नहीं होता या शिक्षकों की विशेष रुचि का कोई विषय चर्चा में न आता तो लगता था कि वे निराश हो सकते हैं और शायद समूह को छोड़ भी सकते हैं। इसी तरह प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों में भी एक तरह के अलगाव, एक-दूसरे से कटे होने की सम्भावना हो सकती थी। विषयवस्तु या स्कूल-स्तरों पर विशेष, विषय-केन्द्रित चर्चा की आवश्यकता को वे बहुत प्रबलता से ध्वनि देते हैं। प्रत्येक सदस्य के लिए विषय के प्रासंगिक होने का मुद्दा अब तक भी वाजिब तौर पर मौजूद है।

एक मुद्दा यह भी था कि कई ऐसे विषय हैं जिनमें तुलनात्मक स्तर पर अधिक अकादमिक कड़ाई और समय की आवश्यकता रहती है- यानी उन पर स्वैच्छिक शिक्षक मंच के पास उपलब्ध सीमित समय में चर्चा नहीं हो सकती थी। इसी से विचार निकला कि दो या तीन- दिवसीय आवासीय स्वैच्छिक शिक्षक मंच का आयोजन किया जाए। सर्वप्रथम ऐसा आयोजन 2010 में टोंक के पास के जिले सवाईमाधोपुर में किया गया। छह विकास खण्डों में फैले विभिन्न ऐसे शिक्षक मंचों के 45 शिक्षकों ने इसमें भाग लिया- इनमें 15 शिक्षिकाएँ भी थीं। यह जोश भरी सहभागिता फाउण्डेशन के सदस्यों के लिए उत्साहवर्धक बात थी। ऐसा ही आयोजन 2011 में मालपुरा (टोंक) में हुआ -20 शिक्षकों ने भाग लिया। इरादा तो यह था कि विभिन्न स्वैच्छिक मंचों के शिक्षकों को एक जगह एकत्र करने वाले इस प्रकार के आवासीय आयोजन प्रतिवर्ष हों, लेकिन सबके समयानुकूल कार्यक्रम-योजना बना पाने की चुनौतियों के चलते इसे लगातार करते रहना सम्भव नहीं हो पाया।[14]

4.4.3 गहरी, प्रासंगिक अकादमिक कुशलता

प्रासंगिक और रुचिकर विषयवस्तु के महत्व के साथ ही चर्चाओं के लिए मददगार, उपयुक्त 'स्रोत-व्यक्तियों' की भी आवश्यकता रहती है। ये मंच 'साथी समूह शिक्षकों से सीखने' के मंच हैं लेकिन इन्हें उपयुक्त मार्गदर्शन और सहायता की भी जरूरत है। वास्तव में तो स्रोत-व्यक्तियों से शिक्षकों को बड़ी आशाएँ होती हैं। उन्हें न केवल यह आशा होती है कि वे विषय के जानकार और ज्ञानी होंगे बल्कि यह भी, कि वे सारी बातचीत समावेशी ढंग से, सबकी सहभागिता के साथ सुनिश्चित कर पाएँगे। स्रोत-व्यक्तियों को सीमित समय में सत्रों में सहायक होना था और इन्हें रुचिकर बनाते हुए विभिन्न स्तरों की सोच लिए हुए शिक्षकों की पहुँच में लाना था। यह यकीनन एक मुश्किल काम था। इसलिए ऐसे स्रोत-व्यक्तियों को तलाश पाना महत्वपूर्ण था जिनके पास अपने विषय की गहरी समझ तो हो ही, साथ ही शिक्षा-पद्धति और कक्षा से जुड़े मुद्दों की भी समझ हो। चर्चा के लिए उठाए जाने वाले मुद्दे भी काफी विविध और विशेष होते थे, इसलिए भी उपयुक्त स्रोत-व्यक्ति ढूँढ पाना मुश्किल होता था। स्रोत-व्यक्ति के लिए चुनौती होती थी कि वह विषय के इर्द-गिर्द चर्चाओं में अर्थपूर्ण तरीके से सहायक हो पाए, भाग लेने वाले सब शिक्षकों के लिए प्रासंगिक रह पाए और उन्हें व्यस्त भी रख पाए। शुरू की बैठकों में इस तरह की सहायता फाउण्डेशन के उन सदस्यों ने मुहैया करवाई जिनमें विषयवस्तु की गहरी समझ थी और सहायक होने का अनुभव भी था।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन मंचों को निरन्तरता में चलते रहना है, यह भी अतिआवश्यक था कि जहाँ तक हो सके इन सहायकों का ठिकाना शिक्षकों के बहुत नज़दीक हो- उसी विशेष विकास खण्ड में या कम से कम उसी जिले में। समय बीतने के साथ अपवाद स्वरूप ही होता था कि इन सत्रों में सहायक के तौर पर जिले से बाहर का कोई व्यक्ति आता हो।

[14]यह हाल ही में 2016 में फिर से हो पाया जब अवासीय स्वैच्छिक शिक्षक मंच में 45 शिक्षकों ने भाग लिया।[14]

> **"विषयों पर बात रखने के लिए स्रोत-व्यक्तियों का उपलब्ध होना आवश्यक है। हमारे पास हिन्दी और गणित के लिए पर्याप्त सामग्री है लेकिन अँग्रेजी के लिए अब भी किसी का इन्तजार है। अधिकतर तो स्रोत-व्यक्ति बोलते हैं और हम सुनते हैं, लेकिन स्रोत-व्यक्तियों को प्रतिभागियों को भी सुनना चाहिए। सबको अपने साथ लेकर चलते हुए सबको सुनना होगा..... ।"**
>
> *– प्रतिभागी शिक्षक*

फाउण्डेशन का संस्थागत नजरिया, कि शिक्षकों के समीप से समीप स्थित लोग उनकी सहायता को आएँ, स्पष्ट रूप से इस तरह के मंच के व्यावहारिक तौर पर बने रहने के लिए महत्वपूर्ण था।

शिक्षक इन बैठकों में अपना समय निकालकर भाग लेते थे। इसलिए फाउण्डेशन के सदस्यों पर नैतिक दबाव था कि गुणवत्ता और प्रासंगिकता बनाए रखी जाए। यह भी देखा गया कि जब कभी भी पूरी कोशिशों के बावजूद आदान-प्रदान की गुणवत्ता अच्छी न होती, तो इसका प्रभाव उपस्थिति पर पड़ता- यानी आदान-प्रदान अच्छा न होता तो उपस्थिति में भी गिरावट आती थी।

इसीलिए विषयवस्तु और सहायता, दोनों में गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक प्रमुख अनिवार्यता बन गई। इस बात पर सहमति बनी कि अगली बैठक के विषय को पक्का कर लेने के बाद फाउण्डेशन के सदस्य मिल-बैठकर उसकी तैयारी और क्रियान्वयन पर चर्चा किया करेंगे। बैठक से एक सप्ताह पहले विस्तृत मॉड्यूल के साथ-साथ, सत्र को सुगम बनाने में सहायक सीखने-सिखाने की सामग्री तैयार करके, स्रोत-व्यक्ति/सहायक द्वारा टीम के साथ साझा कर ली जाएगी। प्राप्त हुईं प्रासंगिक प्रतिक्रियाओं को बैठक से पहले ही मॉड्यूल में शामिल कर लिया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जिन विषयों के साथ सहजता न हो, उनसे सम्बद्ध किसी भी निवेदन को स्वीकार न किया जाए। कुछ मामलों में बाहर से (यानी सहभागी शिक्षकों और फाउण्डेशन के सदस्यों के अलावा) भी लोगों को सहायक के तौर पर जोड़ा गया। फाउण्डेशन के सदस्यों ने बताया कि यदि सत्र रुचिकर और प्रासंगिक होते थे तो शिक्षक अधिक देर रुकने को भी तैयार रहते थे- कुछ सत्र तो 3 से 4 घण्टे तक भी चलते थे।

> **"मेरा विचार है कि किसी भी सत्र का संचालन बस कुछ न्यूनतम तैयारी के साथ नहीं किया जा सकता। स्वैच्छिक शिक्षक मंच में आने वाले शिक्षक 'बुद्धिजीवी' और ज्ञानी हैं। इसलिए स्रोत-व्यक्ति को ऐसे शिक्षकों के साथ बात साझा करने के लिए अच्छी तैयारी के साथ आना चाहिए।**
>
> *– प्रतिभागी शिक्षक*

कुशलता और विशेषज्ञता की यह जरूरत शिक्षकों की बात में प्रतिबिम्बित होती है। एक शिक्षक ने कहा कि हालाँकि फाउण्डेशन के सदस्य कोशिश तो बहुत करते थे लेकिन ऐसे मौके भी होते थे जब उनकी मेहनत कम रह जाने की वजह से तैयारी भी अपेक्षित हद तक नहीं होती थी- इस शिक्षक की राय में प्रेरित, प्रतिबद्ध और जानकार शिक्षकों के समूह से रू-ब-रू होने के लिए स्रोत-व्यक्तियों का पूरी तरह तैयार होना बहुत जरूरी है। इसलिए उचित तैयारी, प्रासंगिक विषय और बाँधे रखने वाली चर्चाएँ लोगों की उपस्थिति और भागीदारी में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। अगर जानकार तथा अनुभवी शिक्षक सत्रों में और अधिक सहायक हों तो इन जरूरतों से कुछ हद तक सम्बोधित हुआ जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ अन्य मसले भी उठते हैं जिनके बारे में आगे चल कर बात की गई है। अकादमिक विशेषज्ञता और दक्षता लाने की ज़िम्मेदारी अब भी फाउण्डेशन पर ही है।

4.4.4 समता और सामूहिक स्वामित्व की भावना

स्वैच्छिक शिक्षक मंच समता और समावेशन के सिद्धान्तों पर आधारित थे– इनकी शुरुआत और संचालन फाउण्डेशन के सदस्यों और शिक्षकों ने मिलकर किया। मंच के पीछे की केन्द्रीय मान्यता यह थी कि कोई भी ऐसा पक्का और सम्पूर्ण विशेषज्ञ नहीं है जिसके पास सब हल हों और जो समूह की जरूरतों तथा चुनौतियों को सम्बोधित कर पाए– बल्कि सदस्यों को ही एक साथ काम करते हुए सामूहिक हल तलाशने होंगे। इसलिए सहायक यह सुनिश्चित करने पर पूरा ध्यान देते थे कि वे स्वयं भी समूह का हिस्सा ही हैं न कि एजेण्डा को संचालित करने वाले। जो भी सरोकार और चुनौतियाँ निकलकर आती थीं, उन्हें चर्चा और संयुक्त कोशिशों के माध्यम से सम्बोधित किया जाता था। मंच में विकसित हुई इस संस्कृति और माहौल को शिक्षकों ने अपनाया और सराहा। मंच के खुलेपन और किसी भी प्रकार की क्रमबद्धता से आज़ादी की सराहना करने में वे एकमत हैं। इस वजह से मंच का हिस्सा होने के लिए उनका उत्साह बढ़ता है। उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, और यह बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना उनके बारे में कोई निर्णायक राय बनाए हो रहा है। स्रोत–व्यक्ति/सहायक तक आसानी से पहुँच बन पाना और शिक्षकों के प्रति उनका आदर भाव भरोसे, पहचान और आदर की गहरी आवश्यकता को पूरा करते हैं।

वे भागीदार हैं, चाहें तो बोल सकते हैं लेकिन किसी भी तरह से दबाव में नहीं हैं– यह बात उनके लिए मूल्य रखती है। इसे वे प्रशिक्षण के अपने अन्य अनुभवों के मुकाबले अधिक मूल्य देते हैं। 'औपचारिकताओं' का न होना, 'समानता और आदर' का माहौल होना उनके लिए एक सकारात्मक बात है। उनके अनुभवों को चर्चा में लाया जाता है, सुना जाता है, स्थान दिया जाता है और उनसे सीखा जाता है– यह सब कुछ उनमें सशक्तीकरण और स्वामित्व की भावना के लिए अपनी भूमिका अदा करता है। मंच में स्वैच्छिकता का जज्बा भी इस भावना को बढ़ावा देता है। उन्हें लगता है कि अपने पेशेवर विकास के वे स्वयं मालिक हैं। यह भावना इस बात में भी प्रतिबिम्बित होती है कि उनमें से कुछ लोग अपने अनुभव, अपने ज्ञान और उपलब्ध सामग्री को साझा करके नए शिक्षकों को भी मंच तक लाने का सक्रिय प्रयास करते हैं।

जैसी कि अन्यत्र चर्चा की जाएगी, सत्र चलाने की जिम्मेदारी मोटे तौर पर शिक्षकों को हस्तान्तरित करने में भी कई तरह की चुनौतियाँ सामने आई हैं। लेकिन इसके हुए बिना भी स्वैच्छिक शिक्षक मंचों के भीतर की प्रक्रियाएँ सुनिश्चित करती दिखाई देती हैं कि शिक्षकों में इसके प्रति अपनत्व की भावना का एहसास जगे। यह आभास शायद इस तथ्य से आता है कि इसका माहौल खुला और लोकतान्त्रिक है, जिससे सच में अर्थपूर्ण सामाजिक आदान–प्रदान हो पाता है। चर्चा में आने वाली विषयवस्तु पर शिक्षकों की राय शामिल रहती है– इसमें भी, कि बैठक कब और कहाँ की जाए। उदाहरण के लिए, समय को लेकर एक मुद्दा यह था कि सर्दियों के मौसम में स्कूलों का समय सुबह 7 बजे से 12 बजे तक की बजाए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का होने की वजह से स्कूल के समय के बाद शिक्षकों के लिए बैठकों में आना मुश्किल हो गया। एक बैठक में चर्चा के दौरान कुछ शिक्षकों ने सुझाव रखा कि यह बैठक इतवार को या स्कूल में छुट्टी वाले दिन कर ली जाए। इसलिए सर्दियों में बैठक आमतौर पर छुट्टी वाले दिन होने लगी। लग सकता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बात से यकीनन शिक्षकों का हौसला बढ़ा होगा कि वे इस तरह के फैसलों को प्रभावित कर पाते हैं।

> **"स्वैच्छिक शिक्षक मंच में सब शिक्षकों को अपने विचार रखने का अधिकार है। यह बात हम अन्य प्रशिक्षणों में भी देखते हैं लेकिन यहाँ हम स्वयं को अधिक स्वतन्त्र एवं आत्मविश्वास भरा महसूस करते हैं।"**
>
> *– प्रतिभागी शिक्षक*

पीछे मुड़कर देखते हैं तो कहा जा सकता है कि कई कारक हैं जिनके चलते इन मंचों की संस्कृति मिल–जुलकर काम करने वाली और एक–दूसरे से सीखने के अनुकूल बन पाई। इनमें से प्रत्येक कारक स्वयं में शायद महत्वपूर्ण न रहा हो, लेकिन जब ये सब कारक इकट्ठा हो जाते हैं तो शिक्षकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक, दोनों स्तरों पर बल प्रदान करने वाला काम करते हैं। उन की व्यक्तिगत और सामूहिक पेशेवर पहचान को स्वीकारा जाना; शिक्षा–व्यवस्था में बेहतरी के लिए उनकी भूमिका का

महत्व; हर तरह के आदान-प्रदान में छोटे-बड़े में कोई अन्तर न होना, उनके अनुभवों को खुले तौर पर पहचान मिलना; समय, स्थान और चर्चा के विषय से सम्बद्ध सभी निर्णयों में उनकी राय को सम्मान मिलना; बैठक में आने या न आने की इच्छा शिक्षकों पर छोड़ दिया जाना; उन्हें सत्र चलाने में सहायक होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना; और सुनिश्चित किया जाना कि स्वैच्छिक शिक्षक मंचों में होने वाले आदान-प्रदान (वे चाहे शिक्षकों के बीच हों या सहायकों और शिक्षकों के बीच) आदर, समता और सहयोग के मूल्यों पर आधारित हों-ये सब बातें सामूहिक अपनत्व और समता की भावना पैदा करने में सहायक हैं।

4.4.5 सुविधाजनक जगहें

जब मंच की शुरुआत हुई तो फाउण्डेशन के पास इसकी गतिविधियों के लिए अपना कोई स्थान नहीं था। इसीलिए सवाल पैदा हुआ कि बैठकें कहाँ की जाएँ? दो विकल्पों पर विचार हुआ- विकास खण्ड संसाधन कार्यालय (बी.आर.सी.) या फिर कोई भी उपलब्ध निजी स्थान जो बड़ी संख्या में शिक्षकों के निवासों के समीप हो। शुरू में अधिकतर बैठकें बी.आर.सी कार्यालय में हुईं। कई व्यवस्थागत समस्याएँ रहीं, जिनमें स्वच्छ शौचालयों, पेयजल, बिजली आदि की सुविधाओं का अभाव शामिल थे। प्रारम्भ में इतवार को कार्यालय खुला रखने में भी हिचकिचाहट थी। लेकिन अधिकतर ऐसे मुद्दे अधिकारियों से बात करने के बाद हल कर लिए गए- यह एक और ऐसा उदाहरण था जहाँ सरकारी अधिकारियों के साथ भरोसे का सम्बन्ध होने से प्रक्रिया में मदद मिली।

जैसे-जैसे काम विकसित हुआ, फाउण्डेशन ने इन जगहों पर अपनी भौतिक उपस्थिति बी.ए.सी.- ब्लॉक एक्टिविटी सेन्टर (बाद में एल.आर.सी. - लर्निंग रिसोर्स सेन्टर - के नाम से) स्थापित करके बनाई। इन केन्द्रों ने स्वैच्छिक शिक्षक मंचों को बहुत जोरदार बढ़ावा दिया। इससे पहुँच तथा आवश्यक सामग्री की उपलब्धता में सुधार हुआ; सत्रों के समय तय करने में भी अधिक लचीलापन आ पाया, जो शिक्षकों के लिए अधिक सुविधाजनक हो गया।[15]

4.4.6 शिक्षक की आवश्यकताओं को सम्बोधित करना

एक बहुत ही ठोस स्तर पर शिक्षकों का मानना है कि स्वैच्छिक शिक्षक मंचों में होने वाली चर्चाएँ उन्हें कक्षा में आने वाली कुछ समस्याओं को सीधे तौर पर हल करने में मदद करती हैं। वे उदाहरण देते हैं कि किस तरह गणित और अंग्रेजी जैसे खास तौर पर 'मुश्किल' क्षेत्रों से सम्बन्धित विशेष विषयवस्तु से जुड़ी चर्चाएँ उनके लिए कितनी मददगार सिद्ध हुई हैं। कुछ शिक्षक इस बारे में बात करते हैं कि किस तरह उनका शिक्षण अधिक 'व्यवस्थित' हो गया है। एक सीधा-सीधा लाभ कक्षा में काम से सम्बद्ध शिक्षण रणनीतियों और विचारों को लागू कर पाने का है जिसका लाभ सीधे तौर पर विद्यार्थियों को मिलता है।

> **"मैं जब चर्चाओं को सुनता हूँ तो मैं बातें समझ पाता हूँ और सोचता हूँ कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी क्या है और मुझे बच्चों के साथ काम कैसे करना चाहिए।"**
>
> *- प्रतिभागी शिक्षक*

कुछ शिक्षकों का मानना है कि उनके शिक्षण की प्रथाओं में बदलाव की वजह से बच्चों में अधिक रुचि पैदा हुई है और वे अधिक प्रेरित हुए हैं। बच्चों का अनुपस्थित रहना भी घटा है। इसके चलते शिक्षक के तौर पर वे अब अधिक प्रेरित महसूस करते हैं- मंच की बैठकों में जाने के लिए भी वे अधिक जोश में रहते हैं।

शिक्षक महसूस करते हैं कि उनके द्वारा अपनी शिक्षण-पद्धति में जागरूक तौर पर लाया गया बदलाव उन्हें बच्चों और सीखने की प्रकृति के सन्दर्भ में एक परिवर्तित परिप्रेक्ष्य विकसित करने में भी मददगार है। वे बताते हैं कि उन्होंने अपनी शिक्षण-पद्धति में कई तरह की गतिविधियाँ करना शुरू कर दिया है - और इनका ध्यान बच्चों के सीखने पर केन्द्रित रहता है। इनमें वे बच्चे शामिल हैं जो अच्छा 'प्रदर्शन' नहीं करते। मंच की चर्चाओं ने विद्यार्थियों के प्रति उनके व्यवहार को भी प्रभावित किया

[15] फाउण्डेशन का दृष्टिकोण है कि काम करने के विभिन्न तरीकों के बीच कई तरह के अन्तर्सम्बन्धों और सुदृढ़ीकरण की बात होनी चाहिए। इस सन्दर्भ में स्वैच्छिक शिक्षक मंचों और एल.आर.सी. (लर्निंग रिसोर्स सेन्टर) जैसे स्वैच्छिक मंचों के बीच के सम्बन्धों का अध्ययन करना विशेष तौर से रुचिकर होगा।

है; कई शिक्षकोंने विशेषतौर पर जिक्र किया कि अब वे भय और दण्ड पर आश्रित नहीं रहते और विभिन्न प्रकार की शिक्षण-रणनीतियों का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को व्यस्त रख पाते हैं। वे पहले की तरह अब 'कमजोर' बच्चों की उपेक्षा नहीं करते। लगता है कि मंच के साथ उनके अनुभव ने बच्चों के साथ उनके व्यवहार और उनके बारे में उनकी सोच पर प्रभाव छोड़ा है।

अन्तिम बात- शिक्षकों की इस आवश्यकता को तो इन मंचों ने सम्बोधित किया ही है कि विषय और शिक्षण-पद्धति से सम्बद्ध उनके ज्ञान में संवर्धन हो। दूसरी ओर इन शिक्षक-मंचों के साथ शिक्षकों का भावनात्मक जुड़ाव भी बना है, जिसके परिणामस्वरूप इनकी सँख्या बढ़ी है और ये निरन्तर चलते रहे हैं। शिक्षकों की बात सुनने और उसके निहितार्थ तक पहुँचने से मालूम पड़ता है कि ये मंच शिक्षकों की एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण जरूरत को सम्बोधित करते हैं, और वह है व्यक्तिगत और पेशेवर, दोनों तरह से स्वीकृत किए जाने की इच्छा।

स्वैच्छिक शिक्षक मंचों से यह बदलाव आया है कि शिक्षक अपने पेशे और अपनी पेशेगत पहचान को अब एक अलग ढंग से देखते हैं। शिक्षक जब विचार साझा करते हैं तो उनमें सामुदायिक भावना और परस्पर विश्वास बढ़ता है और उनकी पेशेवर पहचान को भी सहारा मिलता है। उन्हें लगता है कि मंच के साथ उनके अनुभव के चलते अपने पेशे के प्रति उनका रवैया बेहतर हुआ है। इससे बच्चों को शिक्षित करने और अप्रत्यक्ष तौर पर समाज को प्रभावित करने की उनकी भूमिका के महत्व को भी वैधता मिलती प्रतीत होती है। उन्हें अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक होने और उनसे जुड़ने में मदद मिली है। शिक्षक कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ वे असल में कर रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। इस चिन्तन के चलते अब उन्हें अपना काम अधिक अर्थपूर्ण लगने लगा है; वे शायद शिक्षण के नैतिक उद्देश्य के साथ बेहतर तरीके से जुड़ पाए हैं।

स्वैच्छिक शिक्षक मंचों में भाग लेने का शिक्षकों के सामान्य तथा समग्र-व्यापक विकास पर सकारात्मक असर पड़ा है। उनमें पठन की आदत पोषित हुई है, सीखने और अध्ययनशील बनने की जरूरत की समझ बनी है, और वे प्रौद्योगिकी के सम्पर्क में आए हैं। नई सामग्रियों, नई अन्तर्दृष्टियों, वैकल्पिक दृष्टिकोणों और परिप्रेक्ष्यों से अवगत हो पाने से उनकी सोच को विस्तार मिला है, वे नए विचारों तथा अन्य लोगों के दृष्टिकोणों के लिए अधिक खुलापन विकसित कर पाए हैं। शिक्षक इन मंचों को अपने लिए एक ऐसा 'ऊर्जा का स्रोत' बताते हैं जिसके होने से उनमें 'पहले से अधिक सकारात्मकता' आई है। उनका मानना है कि ये छोटे-छोटे परिवर्तन उनके शिक्षण को प्रभावित कर रहे हैं और इसका लाभ उनके विद्यार्थियों तक पहुँच रहा है।

> **"हमने यहाँ जो कुछ पढ़ा, उससे हमारे सीखने में बहुत वृद्धि हुई है। शुरू में हम इन्टरनेट और कई पुस्तकों के बारे में नहीं जानते थे लेकिन अब इन के बीच हम ताजगी से भरा और लाभान्वित हुआ महसूस कर रहे हैं।**
>
> *- प्रतिभागी शिक्षक"*

शिक्षकों को वार्तालाप प्रोत्साहित करने वाला सच में एक ऐसा लोकतांत्रिक वातावरण मिला है जहाँ लोग अपने अनुभव साझा करते हैं, जहाँ उनकी बात सुनी जाती है और उन्हें आदर मिलता है। इससे उनमें समता, सम्मान और बातचीत के मूल्यों के आदर्श को रचने में मदद मिली है। वे मानते हैं कि अब वे साझेपन की संस्कृति के मूल्य को समझते हैं और अपनी सोच में पहले से कम संकीर्ण हैं।

इस सबसे भी बढ़कर, उनमें एक ऐसी सुरक्षित जगह पर होने का एहसास पैदा हुआ है, जहाँ किसी को यह महसूस नहीं होता कि उसे जाँचा-परखा जा रहा है या उसके बारे में कोई निर्णायक राय बनाई जा रही है। इसके चलते उनका आत्म-सम्मान बढ़ा है और उनकी आत्म-छवि में बदलाव आया है।

4.5 चुनौतियाँ बरकरार हैं

स्वैच्छिक शिक्षक मंच मिलकर काम करने और शिक्षकों द्वारा एक-दूसरे से सीखने के मंच के तौर पर विकसित हुए हैं, और निरन्तर जारी हैं, लेकिन चुनौती अब भी बनी ही हुई है।

4.5.1 लोगों को जोड़ने की निरन्तर आवश्यकता

यह आवश्यकता अब भी बनी हुई है कि स्वैच्छिक शिक्षक मंचों पर शिक्षकों को इकट्ठा करने के लिए फाउण्डेशन के सदस्यों द्वारा सघन और उद्देश्यपूर्ण कोशिशें जारी रखी जाएँ। इससे कभी-कभी यह प्रश्न भी उठता है कि 'कितनी स्वैच्छिकता स्वैच्छिक है'?

अधिक संख्या में शिक्षकों तक पहुँचना अब भी महत्वपूर्ण है। एक कारण यह है कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र का शिक्षक समुदाय गतिशील होता है क्योंकि शिक्षकों का स्थानान्तरण होता रहता है। शिक्षकों के एक केन्द्रीय समूह के रहते निरन्तरता तो बनी रहती है, लेकिन नए शिक्षकों को भी ऐसे मंच में लाते रहना होगा। मंच तथा उसे चलाने वाले लोगों की विश्वसनीयता भी बनाए रखनी होती है। फाउण्डेशन के सदस्यों द्वारा बड़े स्तर के सेवाकालीन प्रशिक्षणों में भाग लेने समेत शिक्षकों को जोड़ने के निरन्तर प्रयास प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं।

लगता है कि अपने सम्पूर्ण अर्थ में स्वैच्छिकता और स्वयंसेवी भावना तो एक आदर्श है। लेकिन यह बात महत्वपूर्ण है कि शिक्षक इन मंचों पर किसी आदेश के तहत नहीं आ रहे हैं। इससे यह सन्देश स्थापित होता है कि जब अपने पेशेवर विकास के लिए किन्हीं विकल्पों के चुनाव का विषय हो तो शिक्षक को अपनी इच्छा और मर्जी पर बल देना चाहिए। इस समय विभिन्न मंच अपने विकास के विभिन्न चरणों में हैं और माना जा रहा है कि वे स्वयंसेवी भाव से स्वैच्छिक कार्य करने के आदर्श की ओर बढ़े रहे हैं। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि इस तरह के मंचों को जीवन्त और प्रभावी बनाने के लिए लम्बे दौर तक किसी बाहरी एजेंसी, संस्था या व्यक्तियों की ओर से ऐसे प्रयास की आवश्यकता रहेगी।

4.5.2 स्वामित्व शिक्षकों के हाथ देना

शुरू में तो फाउण्डेशन के सदस्यों को बाध्य होकर बैठकों की व्यवस्था करने और उनके संचालन में मुख्य भूमिका अदा करनी पड़ती थी। मंच के विकास के साथ 2012 के आस-पास, आशा की जाने लगी कि स्रोत-व्यक्तियों के रूप में बैठकों को चलाने की अधिक ज़िम्मेदारी शिक्षक लेंगे। मगर कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकतर शिक्षक सत्रों को चलाने में सहायक नहीं हो पाए। पूरे जिले में ही यह एक चुनौती थी।

जब इस मुद्दे पर शिक्षकों के साथ चर्चा की गई, तो उन्होंने माना कि मूल इरादा तो यही था कि वे इन सत्रों के संचालन में सहायक होंगे। लेकिन उन्हें डर था कि इससे चर्चाओं की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ सकता है और शिक्षकों की भागीदारी पर भी इसका उल्टा असर हो सकता है जबकि चर्चाओं का गुणवत्तापूर्ण होना समूह के कार्य के लिए एक निर्णायक बात थी। इसके साथ ही, इन मंचों के विकसित होने की प्रक्रिया तथा फाउण्डेशन के काम की प्रकृति और व्याप्ति को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को यह आशा रहती है कि फाउण्डेशन के सदस्य इस प्रक्रिया में मददगार बने रहेंगे। जैसा कि एक शिक्षक ने बहुत ही संक्षिप्त में कहा, ''फाउण्डेशन स्वैच्छिक शिक्षक मंच का पिता है; फाउण्डेशन के बिना मैं इस मंच की कल्पना नहीं कर सकता।''

लेकिन 2012 से फाउण्डेशन के सदस्यों ने धीरे-धीरे, चरणवार, जिम्मेदारी को शिक्षक-समूह की ओर सरकाने की कोशिश की। कुछ शिक्षक शुरुआत से ही इन मंचों के बनने की प्रक्रिया में योगदान करते रहे थे। अब उन्हें सत्र चलाने में सहायक होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। शुरू में उन्होंने यह काम फाउण्डेशन के सदस्यों के साथ मिलकर करना चाहा। अगला कदम उन्हें प्रेरित करने का था कि वे यह जिम्मेदारी स्वतन्त्र तौर पर निभाएँ। यह कई शिक्षकों के साथ किया गया लेकिन नतीजे एक से नहीं रहे। कुछ शिक्षकों ने जिम्मेदारी ले ली लेकिन अन्य ने ऐसा नहीं किया। जैसा कि फाउण्डेशन के एक सदस्य ने कहा, कई शिक्षकों के पास सेवाकालीन प्रशिक्षणों में मुख्य-प्रशिक्षक होने का अनुभव था, लेकिन स्वैच्छिक शिक्षक मंच के सत्रों को स्वतन्त्र तौर पर चलाने के लिए ''अधिक समझदारी और काफी अधिक तैयारी की जरूरत थी; वे जिस चरण पर अभी

खुद को पाते थे, पैमाना शायद उसके हिसाब से काफी ऊँचा था।'' 2013 में कुछ शिक्षकों ने सत्रों को चलाने की जिम्मेदारी संभालना शुरू किया। वर्तमान में कुछ मंच ऐसे है जहाँ लगभग एक तिहाई बैठको में सत्र संचालन की ज़िम्मेदारी शिक्षक संभालने लगे है।

4.5.3 महिला शिक्षकों की कम भागीदारी

विशेष तौर से शुरू में, एक चुनौती महिला शिक्षकों की कम भागीदारी की थी। यह इसके बावजूद था कि उनके साथ इसके बारे में बारम्बार आदान-प्रदान और चर्चाएँ हुईं।

इन चर्चाओं के दौरान महसूस किया गया कि वे शायद ऐसे समूह में भाग लेने में सहज महसूस नहीं करतीं जहाँ अधिकांश सदस्य पुरुष हों। सुझाव आया कि महिला शिक्षकों के लिए विशेष तौर से एक अलग मंच बनाया जाए। फाउण्डेशन के सदस्य इस पर एकमत नहीं थे। कई सदस्य इस बात के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे तो मौजूदा व्यवस्था में दिखाई देने वाली लिंग-आधारित असमानता को बढ़ावा मिलेगा। अन्य की राय थी कि इस तरह के सामाजिक यथार्थ के भीतर रहते हुए ही काम किया जाना चाहिए- यानी पितृसत्तात्मक माहौल से आने वाले शिक्षकों के लिए पुरुष-प्रधान मंच में सार्थकता से भाग लेना सच में त्रस्त करने वाली बात हो सकती है। अन्ततः आम राय बनी कि इस तरह की जगह बनाने की कोशिश करना उचित ही होगा, फिर वह चाहे एक प्रयोग के तौर पर ही क्यों न हो। 2011 में विशेष तौर से केवल महिलाओं के स्वैच्छिक शिक्षक मंच टोंक और डिग्गी विकास खण्डों में शुरू किए गए। लेकिन इसके बावजूद महिला शिक्षकों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई और कुछ ही बैठकों के बाद इसे पहले वाले समूहों में ही विलीन कर दिया गया।

कम भागीदारी के कारणों तक पहुँचना शायद मुश्किल नहीं है। जैसा कि एक सदस्य ने कहा ही, महिलाओं पर घरेलू दायित्वों का बोझ रहता है, विशेष तौर से छुट्टी वाले दिन। इसके साथ ही बैठक में आने तक की यात्रा से सम्बद्ध समस्याएँ भी हैं। पुरुष तो अपने दोपहिया वाहनों पर आसानी से आ जाते हैं, लेकिन महिलाओं को सार्वजनिक यातायात पर या परिवार के पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है कि वे बैठक में उन्हें छोड़ने और फिर लेने आएँ।

सदस्य इस कोशिश में लगे रहे कि मंच के शिक्षकों की मदद से महिला शिक्षकों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। नियमित रूप से बैठकों में आने वाले शिक्षकों ने तय किया कि वे अपनी महिला सह-शिक्षकों के साथ स्वैच्छिक शिक्षक मंचों के अनुभव सक्रियता से साझा करेंगे- कुछ उन्हें बैठकों में लाने और उन्हें घर छोड़कर आने के रूप में भी सहायक हुए। इन प्रयासों से 2012 में कुछ और महिला-शिक्षक मंच से जुड़ पाईं। बाद में इन्होंने भी अपनी सह-शिक्षिकाओं तक बात पहुँचाने की कोशिशें की और इस प्रकार साल-दर-साल संख्या बढ़ी और 2014 तक इन मंचों में भागीदार कुल शिक्षकों का 30% महिलाएँ थीं। यह फाउण्डेशन के सदस्यों के लिए सन्तुष्टि की बात थी। लेकिन ऊपर चर्चा में आए कारणों के चलते यह चुनौती अब भी बनी हुई है।

5. निष्कर्ष

टोंक, राजस्थान में पहले स्वैच्छिक शिक्षक मंच को बने सात साल से अधिक हो चुके हैं। इस समय टोंक में 15 मंच चल रहे हैं। इनमें लगभग 1200 सरकारी स्कूल-शिक्षक भाग लेते हैं। बीच के इन सालों में इन मंचों के विकास और स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। अब शिक्षकों और फाउण्डेशन के सदस्यों, दोनों में यह एहसास है कि इन मंचों ने शिक्षकों को परस्पर सहयोग और एक-दूसरे से सीखने के लिए एक स्थान प्रदान करने का अपना मूल उद्देश्य हासिल करने में महत्वपूर्ण सफर तय किया है। कई कारकों ने इसमें योगदान दिया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण वे निरन्तर, गहन और उद्देश्यपूर्ण प्रयास हैं जो फाउण्डेशन के सदस्योंने मंचों तक शिक्षकों को लाने के लिए और उनकी सहायता के लिए किए हैं। यह टोंक में संस्थागत उपस्थिति के बिना सम्भव नहीं होता- यानी बिल्कुल शुरुआत से लोगों के वहाँ होने, धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ने, और इस तरह की कोशिश के लिए आवश्यक अकादमिक गहराई और व्यापकता के बिना यह मुमकिन न होता।

कुछ उद्देश्यों तक पहुँचना अब भी बाकी है। उदाहरण के लिए, ये मंच अभी तक अधिकतर शिक्षाशास्त्रीय एवं कक्षायी मसलों पर ही केन्द्रित हैं। बुनियादी सामाजिक मान्यताओं और शिक्षकों के लोकाचार पर सवाल उठाने के इर्द-गिर्द चर्चाओं का मूल इरादा अभी उस हद तक पूरा नहीं हो पा रहा जितना सोचा गया था। कुछ समूहों में इतनी परिपक्वता आ गई लगती है कि वे इस दिशा में बढ़ना शुरू करें, लेकिन प्रतिभागियों और सहायकों, दोनों के लिए अब भी यह चुनौती बनी हुई है।

कुछ सवाल तो बने ही हुए हैं- जैसे कि शिक्षकों को जोड़ने के निरन्तर प्रयासों की आवश्यकता, अधिक संख्या में महिला-शिक्षकों का जुड़ाव, और प्रतिभागी-शिक्षकों द्वारा सत्रों को चलाने में अधिक हिस्सेदारी के सवाल। लेकिन इस अनुभव से मिलने वाला मूल सबक यह है कि हालाँकि यह सांस्कृतिक स्तर पर एक अजनबी अवधारणा हो सकती है, और इसके रास्ते में बहुत-सी वैचारिक और प्रबन्धन तथा व्यवस्था सम्बन्धी चुनौतियाँ भी हैं, यदि सही मौके मिलें तो शिक्षक अपने पेशेवर विकास को स्वयं अपने हाथ में ले सकते हैं- और लेते हैं। शिक्षकों के अन्तर्निहित उत्साह और जज्बे को जगाना, एक सहायक माहौल प्रदान करवाना,उनके अनुभवों को मूल्यवान समझना, उन्हें विकल्प चुनने के मौके देना- स्वैच्छिक शिक्षक मंचों के निरन्तर बने रहने के लिए ये सब महत्वपूर्ण कारक हैं।

इस अध्ययन में कोशिश की गई है कि टोंक में फाउण्डेशन के प्रयासों से मिली अन्तर्दृष्टि की कुछ बातें यहाँ रखी जाएँ। इन बातों को फाउण्डेशन ने अन्य जगहों पर हुए ऐसे ही प्रयासों में पहले ही लागू किया है। लेकिन जैसा कि पहले भी कहा गया है, इस अध्ययन की सीमाओं और मुद्दे की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इन बातों को इस अध्ययन में पक्के या आमतौर पर लागू किए जाने के अर्थ में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। आशा है कि इससे स्वैच्छिक शिक्षक मंच की तरह के अन्य मंचों पर अध्ययनों को बढ़ावा मिलेगा जिससे भारत की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सरीखे जटिल परिप्रेक्ष्य में पेशेवेर शिक्षक विकास की पुनर्कल्पना में मदद मिलेगी।

लेखकगण अज़ीम प्रेमजी फाउण्डेशन में कार्यरत हैं। उनसे सम्पर्क के लिए ईमेल पता है vinod.jain@azimpremjifoundation.org

अँग्रेजी से अनुवाद : रमणीक मोहन अनुवाद सम्पादन : राजेश उत्साही

Notes

Notes